मई 2024 ■ वर्ष : 33 ■ अंक : 9 ₹135

सिविल सर्विसेज़

क्रॉनिकल

1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका

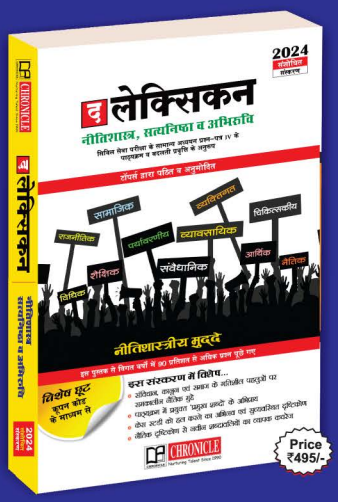

IAS/PCS प्रारंभिकी 2024 विशेष

200 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स टॉपिक

जीएस इनपुट के साथ अति संभावित वस्तुनिष्ठ प्रश्न

परीक्षा सार

हरियाणा सिविल सेवा (HCS) प्रा. परीक्षा-2023

विशेष आलेख

- भारत की पेटेंट व्यवस्था : नवाचार एवं आर्थिक विकास हेतु इसका सुदृढ़ीकरण आवश्यक
- सतत भूमि प्रबंधन : भूमि क्षरण की रोकथाम एवं पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण
- भारत-भूटान संबंधः द्विपक्षीय प्रगति एवं विकास हेतु सहयोग आवश्यक
- कृत्रिम बुद्धिमत्ताः सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव एवं विनियमन
- मनी लॉन्ड्रिंगः सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभाव तथा चुनौतियां
- भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमताः वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु आवश्यक

अन्य आकर्षण

न्यूज बुलेट्स

पत्रिका सार : मार्च 2024 में प्रकाशित पत्रिकाओं पर आधारित

चर्चित शब्दावली

संसद प्रश्नोत्तरी

फैक्ट शीट : भारत में रसायन उद्योग

समसामयिक प्रश्न

वनलाइनर करेंट अफेयर्स

www.chronicleindia.in

इस अंक में

सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल
1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका

facebook/civilserviceschronicle

मई 2024

❑ वर्ष 33 ❑ अंक 9

59

प्रारंभिकी 2024
200 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स टॉपिक

जीएस इनपुट के साथ अति संभावित मॉडल वस्तुनिष्ठ प्रश्न

- सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्नों की परिवर्तनशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हम इस अंक में विगत 1 वर्ष में चर्चा में रहे विषयों, मुद्दों एवं घटनाक्रमों पर आधारित 200 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स टॉपिक्स का प्रस्तुतीकरण कर रहे हैं, जिनसे आगामी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है।
- विगत कुछ वर्षों में प्रारंभिक परीक्षा में करेंट अफेयर्स के प्रश्न समसामयिक संदर्भ की सामान्य अध्ययन पृष्ठभूमि से पूछे जा रहे हैं। इस विशेष अध्ययन सामग्री के तहत प्रत्येक टॉपिक में समसामयिक संदर्भ के साथ परीक्षोपयोगी जीएस इनपुट्स का भी समावेशन किया गया है।
- इन सभी 200 टॉपिक्स पर प्रारंभिक परीक्षा हेतु अति संभावित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी शामिल किया है। उम्मीद है कि यह अध्ययन सामग्री आपकी तैयारी में मददगार होगी।

सामयिक आलेख

06 सतत भूमि प्रबंधन : भूमि क्षरण की रोकथाम एवं पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण
09 भारत की पेटेंट व्यवस्था : नवाचार एवं आर्थिक विकास हेतु इसका सुदृढ़ीकरण आवश्यक
12 भारत-भूटान संबंध : द्विपक्षीय प्रगति एवं विकास हेतु सहयोग आवश्यक

इन फोकस

15 कृत्रिम बुद्धिमता : सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव एवं विनियमन
16 मनी लॉन्ड्रिंग : सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभाव तथा चुनौतियां
17 भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता : वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु आवश्यक

नियमित स्तंभ

राष्ट्रीय परिदृश्य

न्यायपालिका 19
शासन एवं प्रणाली 20
समिति एवं आयोग 21
राष्ट्रीय सुरक्षा 22
समारोह एवं आयोजन 22

सार्वजनिक नीति

नागरिकता संशोधन नियम, 2024 अधिसूचित 23
प्रेस एवं आवधिक पंजीकरण अधिनियम, 2023 23
CCI द्वारा नए नियम अधिसूचित 24
सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 24
प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024 25

रिपोर्ट एवं सूचकांक

राष्ट्रीय रिपोर्ट एवं सूचकांक 26
अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट एवं सूचकांक 27

सामाजिक परिदृश्य

अतिसंवेदनशील वर्ग 31
जनसांख्यिकीय परिवर्तन 31
सामाजिक कल्याण 32
महिला सशक्तीकरण 32

कल्याणकारी योजनाएं

एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज योजना 33
संशोधित औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना 33
KIRTI कार्यक्रम 34
नीति फॉर स्टेट्स' प्लेटफॉर्म 34
ई-वाहन नीति 35

विरासत एवं संस्कृति

व्यक्तित्व 36
विरासत स्थल एवं स्मारक 37
कला के विविध रूप 38
उत्सव एवं पर्व 38
आंदोलन एवं विद्रोह 38

आर्थिक परिदृश्य

मुद्रा एवं बैंकिंग..... 39
संस्थान एवं निकाय..... 39
वित्त क्षेत्र..... 40
गरीबी एवं रोजगार..... 41
करारोपण..... 41
व्यापार एवं निवेश..... 41
कृषि एवं संबंधित क्षेत्र..... 42
बौद्धिक संपदा अधिकार..... 42
उद्योग एवं व्यापार..... 43

अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं संगठन

बैठक एवं सम्मेलन..... 44
द्विपक्षीय संबंध..... 45
संगठन एवं फोरम..... 46
संधि एवं समझौते..... 46
अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम..... 47
मानचित्र के माध्यम से..... 48

पर्यावरण एवं जैव विविधता

वन्यजीव संरक्षण 49
जैव विविधता 50
भूगर्भिक अवशेष..... 52
पर्यावरण संरक्षण 52

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

अंतरिक्ष एवं ब्रह्मांड विज्ञान..... 54
प्रौद्योगिकीय पहलें..... 56
नवीन प्रौद्योगिकी..... 57
रक्षा-विज्ञान..... 58

प्रतियोगिता क्रॉनिकल

राज्य परिदृश्य

उत्तर प्रदेश..... 121
मध्य प्रदेश..... 121
बिहार 121
दिल्ली 122
हरियाणा..... 122
झारखंड..... 122
तेलंगाना..... 122
केरल 122

न्यूज बुलेट्स 123-138

लघु सूचिका

चर्चित व्यक्ति/ नियुक्ति..... 139
निधन 139
पुरस्कार/सम्मान..... 140
चर्चित पुस्तकें..... 140
चर्चित दिवस..... 140

खेल परिदृश्य

खेल व्यक्तित्व.....141
क्रिकेट.....141
बैडमिंटन.....141
टेनिस 142
टेबल टेनिस.....142
नौकायन.....142

परीक्षा सार.....143-147

हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) द्वारा आयोजित हरियाणा सिविल सेवा (HCS) एवं अन्य संबद्ध सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2023 पर आधारित

पत्रिका सार : योजना, कुरुक्षेत्र एवं साइंस रिपोर्टर 148-154

चर्चित शब्दावली 155-156

संसद प्रश्नोत्तरी 157

फैक्ट शीट 158

समसामयिक प्रश्न 159-160

वनलाइनर करेंट अफेयर्स 161-162

संपादक : एन.एन. ओझा
सहायक संपादक : सुजीत अवस्थी
अध्यक्ष : संजीव नन्दक्योलियार
उपाध्यक्ष : कीर्ति नंदिता
संपादकीय : 9582948817, cschindi@chronicleindia.in
विज्ञापन : 9953007627, advt@chronicleindia.in
सदस्यता : 9953007628/29, subscription@chronicleindia.in
प्रसार : 9953007630/31, circulation@chronicleindia.in
ऑनलाइन सेल : 9582219047, onlinesale@chronicleindia.in
व्यावसायिक कार्यालय : क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.
ए-27 डी, सेक्टर-16, नोएडा-201301
Tel.: 0120-2514610-12, info@chronicleindia.in

क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.: प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार अपने हैं। उनसे संपादक का सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं है। संपादक की लिखित अनुमति के बिना इस पत्रिका में प्रकाशित किसी भी सामग्री को उद्धृत या उसका अनुवाद नहीं किया जा सकता। पाठकों से अनुरोध है कि पत्रिका में छपे किसी भी विज्ञापन की सूचना की जांच स्वयं कर लें। सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, विज्ञापनों में प्रकाशित दावों के लिए किसी प्रकार जिम्मेदार नहीं है। किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

क्रॉनिकल पब्लिकेशंस प्रा.लि. के लिए **प्रकाशक एवं मुद्रक-मृणाल ओझा** द्वारा एच-31, प्रथम तल ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नयी दिल्ली-110016, से प्रकाशित एवं इम्प्रेशन प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नंबर C-18-19-20-21, सेक्टर-59, नोएडा-201301 से मुद्रित- **संपादक एन.एन. ओझा**

सतत भूमि प्रबंधन

भूमि क्षरण की रोकथाम एवं पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण

• संपादकीय डेस्क

विश्व भर में, वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, मिट्टी के कटाव और अस्थिर कृषि पद्धतियों के कारण भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण में तेजी आई है। ये स्थितियां उत्पादकता को कम करती हैं और खाद्य असुरक्षा, कुपोषण, गरीबी तथा संघर्ष को बढ़ाती हैं। इसलिए, मानव और पारिस्थितिक तंत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, भूमि और संसाधनों की प्रतिस्पर्धी मांगों का समाधान किया जाना चाहिए, साथ ही न्यूनतम नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव के साथ खाद्य उत्पादन में वृद्धि की जानी चाहिए।

26 फरवरी से 1 मार्च, 2024 के मध्य केन्या के नैरोबी में "जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण प्रबंधन के लिए प्रभावी, समावेशी और टिकाऊ बहुपक्षीय कार्रवाई" नामक थीम के तहत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA-6) का छठा सत्र आयोजित किया गया।

* इस सत्र में विभिन्न विषयों पर 15 प्रस्तावों को अपनाया गया, जिसमें भूमि क्षरण (Land Degradation) से संबंधित एक प्रस्ताव भी शामिल है। इस प्रस्ताव के तहत सदस्य देशों से भूमि संरक्षण और 'सतत भूमि प्रबंधन' (Sustainable Land Management) को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया गया।

सतत भूमि प्रबंधन

✓ अवधारणा

संयुक्त राष्ट्र की सतत भूमि प्रबंधन (SLM) की परिभाषा के अनुसार यह 'बदलती मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु वस्तुओं के उत्पादन के लिए मृदा, जल, पौधों और जानवरों सहित भूमि संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करने से संबंधित है, ताकि इन संसाधनों की दीर्घकालिक उत्पादक क्षमता बनी रहे तथा उनकी पर्यावरणीय कार्यप्रणाली के रखरखाव को सुनिश्चित किया जा सके।

* SLM चार सामान्य सिद्धांतों पर आधारित है:
  1. भूमि-उपयोगकर्ता-संचालित और भागीदारी आधारित दृष्टिकोण;
  2. पारिस्थितिक तंत्र और कृषि प्रणालियों के स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों का एकीकृत उपयोग;
  3. बहु-स्तरीय और बहु-हितधारक भागीदारी; तथा
  4. स्थानीय स्तर पर SLM को अपनाने और आय सृजन के लिए प्रोत्साहन तंत्र के विकास सहित लक्षित नीतिगत और संस्थागत समर्थन।

✓ सतत भूमि प्रबंधन की आवश्यकता

वैश्विक स्तर पर सतत भूमि प्रबंधन कई कारणों से महत्वपूर्ण है:

* **संसाधन संरक्षण:** भूमि एक सीमित संसाधन है। सतत भूमि प्रबंधन भावी पीढ़ियों के लिए भूमि संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित कर सकता है।
* **खाद्य सुरक्षा:** मृदा संरक्षण और जैविक कृषि जैसी सतत भूमि प्रबंधन प्रथाएं कृषि उत्पादकता को बनाए रखने और वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद कर सकती हैं।
* **जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन:** सतत भूमि प्रबंधन प्रथाएं, जैसे कि वनीकरण, पुनर्वनीकरण और कृषि-वानिकी, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर सकती हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद मिल सकती है।
* **जैव विविधता संरक्षण:** भूमि क्षरण और आवास हानि जैव विविधता के लिए प्रमुख खतरे हैं। सतत भूमि प्रबंधन प्रथाएं, जैसे आवास बहाली और संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन, प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करके तथा विखंडन को कम करके जैव विविधता को संरक्षित और रिकवर करने में मदद कर सकती हैं।
* **जल प्रबंधन:** परंपरागत भूमि प्रबंधन प्रथाएं जल की उपलब्धता और गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं। वहीं सतत भूमि प्रबंधन, जलसंभरों की रक्षा करने, मिट्टी के कटाव को कम करने और प्रदूषण को रोकने में मदद कर सकता है, जिससे मानव उपयोग और 'पारिस्थितिक तंत्र स्वास्थ्य' (Ecosystem Health) दोनों के लिए जल संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है।
* **सामाजिक और आर्थिक लाभ:** सतत भूमि प्रबंधन कई सामाजिक और आर्थिक लाभ उत्पन्न कर सकता है, जिसमें गरीबी में कमी, रोजगार सृजन और ग्रामीण समुदायों के लिए बेहतर आजीविका शामिल है।

वैश्विक भूमि क्षरण की स्थिति

- वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) के अनुसार, विश्व भर में कुल भूमि क्षेत्र के लगभग 25% भाग का क्षरण हो चुका है। जब भूमि का क्षरण होता है, तो मृदा का कार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में उत्सर्जित होता है, जिससे भूमि क्षरण जलवायु परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं में से एक बन जाता है।
- वैज्ञानिकों ने हाल ही में चेतावनी दी है कि प्रति वर्ष 24 अरब टन उपजाऊ मृदा नष्ट हो रही है, जिसका मुख्य कारण अस्थिर कृषि पद्धतियां हैं। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही, तो वर्ष 2050 तक पृथ्वी का 95% भूमि क्षेत्र निम्नीकृत हो सकता है।

भारत की पेटेंट व्यवस्था

नवाचार एवं आर्थिक विकास हेतु इसका सुदृढ़ीकरण आवश्यक

• डॉ. अमरजीत भार्गव

किसी भी देश की पेटेंट व्यवस्था (Patent Regime), उसके बौद्धिक संपदा ढांचे, नवाचार और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में लागू पेटेंट कानूनों का प्राथमिक उद्देश्य आविष्कारकों को एक विशिष्ट अवधि के लिए उनके आविष्कारों पर विशेष अधिकार प्रदान करके नवाचार और तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहित करना है। पेटेंट व्यवस्था को नवाचार एवं विकास प्रक्रिया के साथ समायोजित करने के लिए भारत को अपनी 'बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था' को और भी अधिक मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे अधिक से अधिक फर्मों और अनुसंधान संस्थानों को उच्च गुणवत्ता वाले पेटेंट दाखिल करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

15 मार्च, 2024 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने पेटेंट (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया। पेटेंट एक प्रकार की बौद्धिक संपदा है, जो उसके मालिक को आविष्कार के सक्षम प्रकटीकरण को प्रकाशित करने के बदले में सीमित अवधि के लिए दूसरों को उसे बनाने, उपयोग करने या बेचने से रोकने हेतु कानूनी अधिकार प्रदान करता है। **भारत में पेटेंट प्रणाली का प्रशासन, 'पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क्स और भौगोलिक संकेतक महानियंत्रक' के अधीन होता है। भारतीय पेटेंट कार्यालय का मुख्यालय कोलकाता में है।** पेटेंट नियम, 2024 को नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। ये नियम पेटेंट प्राप्त करने एवं उसे प्रबंधित करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के संदर्भ में अनेक प्रावधान प्रस्तुत करते हैं। जैसे-जैसे देश कुशलतापूर्वक पेटेंट प्रदान करने की अपनी क्षमता में प्रगति कर रहा है, ऐसी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि इस क्षेत्र में गुणवत्ता संबंधी चुनौतियां सामने आ सकती है। इन्हीं परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय पेटेंट व्यवस्था, इसकी कार्यप्रणाली तथा विकास के मार्ग में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण करना आवश्यक है।

पेटेंट नियमों में संशोधन क्यों?

- पेटेंट कानूनों और विनियमों में समय-समय पर बदलाव होते रहते हैं। **उभरती तकनीकों और वैश्विक रुझानों के प्रति पेटेंट नियमों को अनुकूल बनाने के लिए** पेटेंट (संशोधन) नियम, 2024 जारी किए गए हैं।
- इन नियमों का लक्ष्य आविष्कारकों और रचनाकारों के लिए अनुकूल वातावरण की सुविधा प्रदान करना है। साथ ही, विकसित भारत संकल्प को पूरा करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से देश के आर्थिक विकास को गति देना है।
- पूर्व में पेटेंट व्यवस्था में किए गए सुधारों के परिणामस्वरूप भारत ने वर्ष **2022-23** में **82,805** पेटेंट आवेदन तथा **34,153** अनुदान दर्ज किए, यह वर्ष **2016-17** में **45,444** पेटेंट आवेदन और **9,847** अनुदान की तुलना में व्यापक वृद्धि को प्रदर्शित करता है। पेटेंट नियमों के वर्तमान परिवर्तन इस प्रकार के सुधारात्मक प्रयासों को बल प्रदान करेंगे।

पेटेंट नियम, 2024: मुख्य संशोधन तथा उनकी विशेषताएं

- पेटेंट किये गए इन्वेंशन में इन्वेंटर्स के योगदान को स्वीकार करने के लिए नए 'सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंटरशिप' **(Certificate of Inventorship)** का अनूठा प्रावधान पेश किया गया है।
  - चूंकि भारतीय पेटेंट प्रमाण-पत्र आविष्कारकों की पहचान नहीं करता है, इसलिये यह प्रावधान आविष्कारकों को उनके आविष्कारों हेतु पहचान की अनुमति प्रदान करेगा।
- **धारा 31** के तहत ग्रेस पीरियड **(Grace Period)** के लाभ प्रदान करने के प्रावधान को नए फॉर्म, यानी फॉर्म 31 को शामिल करके सुव्यवस्थित किया गया है।
- फॉर्म 8 में विदेशी आवेदन दाखिल करने का विवरण प्रस्तुत करने की समय-सीमा आवेदन दाखिल करने की तारीख से 6 महीने से बदलकर पहली परीक्षण रिपोर्ट **(First Examination Report)** जारी होने की तारीख से 3 महीने तक कर दी गई है। इससे पेटेंट परीक्षण प्रक्रिया में तेजी आएगी।
- प्रौद्योगिकी की तेज गति को ध्यान में रखते हुए, परीक्षण के लिए अनुरोध दाखिल करने की समय-सीमा आवेदन की प्राथमिकता **(Priority of application)** की तारीख से या आवेदन दाखिल करने की तारीख से, जो भी पहले हो, **48 महीने से घटाकर 31 महीने** कर दी गई है।
- कम से कम **4 वर्ष** की अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड **(Electronic Mode)** के माध्यम से एडवांस पेमेंट करने पर रीन्युअल फी **(Renewal Fee)** में 10% कमी कर दी गई है।
- **फॉर्म 27** में पेटेंट के कामकाज का विवरण दाखिल करने की आवृत्ति को एक वित्तीय वर्ष में एक बार से घटाकर हर तीन वित्तीय वर्षों में एक बार कर दिया गया है। इसके अलावा, निर्धारित तरीके से अनुरोध करने पर तीन महीने तक की अवधि के लिए ऐसे विवरण दाखिल करने में देरी को माफ करने का प्रावधान शामिल किया गया है।
- **धारा 25(1)** के तहत विरोध के माध्यम से प्री-ग्रांट रीप्रेजेंटेशन **(Pre-Grant Representation)** दाखिल करने और निपटान की प्रक्रिया को और सुव्यवस्थित किया गया है।

भारत–भूटान संबंध

द्विपक्षीय प्रगति एवं विकास हेतु सहयोग आवश्यक

• संपादकीय डेस्क

शैक्षिक कार्यक्रमों, पर्यटन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भारत एवं भूटान के मध्य सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिला है। लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों देशों द्वारा दूरदर्शी एवं सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। दोनों देश द्विपक्षीय समझौतों की नियमित समीक्षा के लिए सहयोगी तंत्र स्थापित कर सकते हैं, इससे बदलती भू-राजनीतिक गतिशीलता के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए सक्रिय समाधान की खोज की जा सकती है।

भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में भूटान की राजकीय यात्रा की। यह यात्रा भारत और भूटान के बीच नियमित रूप से होने वाली उच्चस्तरीय आदान-प्रदान की परंपरा और सरकार की 'पड़ोसी प्रथम की नीति' पर जोर देने की कवायद के अनुरूप थी। इस दौरान 22 मार्च, 2024 को भारत एवं भूटान के मध्य ऊर्जा, व्यापार, डिजिटल कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष तथा कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु विभिन्न समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया गया। भारत और भूटान के बीच आपसी विश्वास, समझ एवं सद्भावना पर आधारित एक अनूठी व स्थायी साझेदारी है। हमारी साझी आध्यात्मिक विरासत और दोनों देशों के लोगों के बीच मधुर संबंध, द्विपक्षीय संबंधों में असाधारण घनिष्ठता एवं जीवंतता का समावेशन करते हैं। भूटान, आर्थिक एवं कूटनीतिक आयामों पर ऐतिहासिक रूप से भारत पर निर्भर रहा है। किंतु, वैश्विक कूटनीति के वर्तमान परिवर्तनशील दौर में यदि भूटान अंतरराष्ट्रीय संबंधों में विविधता लाने का प्रयास करता है तो इससे दक्षिण एशिया की शांति एवं स्थिरता प्रभावित हो सकती है।

हस्ताक्षरित समझौते

* **भारत से भूटान को पेट्रोलियम, तेल, स्नेहक (POL) और संबंधित उत्पादों की सामान्य आपूर्ति पर समझौता ज्ञापन:** यह समझौता ज्ञापन पेट्रोलियम, तेल, स्नेहक से संबंधित वस्तुओं की एक सूची प्रदान करता है। भारत सरकार सहमत प्रवेश/निकास बिंदुओं के माध्यम से भूटान को इसकी आपूर्ति की सुविधा प्रदान करेगी।
* **भारत के FSSAI और भूटान के BFDA के मध्य समझौता:** भारत से उत्पादों का निर्यात करते समय भूटान खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण (BFDA), भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुपालन के प्रमाण के रूप में एक स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र जारी करेगा। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहन मिलेगा और दोनों पक्षों के लिए अनुपालन लागत कम होगी।
* **ऊर्जा दक्षता एवं ऊर्जा संरक्षण उपायों के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन:** इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) द्वारा विकसित स्टार लेबलिंग कार्यक्रम को बढ़ावा देकर घरेलू क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने में भूटान की सहायता करना है।
* **खेल और युवा मामलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन:** यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों की खेल एजेंसियों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाकर और खेल गतिविधियों/कार्यक्रमों का संचालन करके भारत और भूटान के बीच लोगों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
* **संदर्भ मानक साझा करने, फार्माकोपिया, सतर्कता और औषधीय उत्पादों के परीक्षण से संबंधित समझौता:** यह समझौता ज्ञापन प्रत्येक पक्ष के संबंधित कानूनों और विनियमों के अनुसार दवाओं के विनियमन के क्षेत्र में हमारे करीबी सहयोग को और विकसित करने तथा जानकारी का आदान-प्रदान करने में मदद करेगा।
* **अंतरिक्ष सहयोग पर संयुक्त कार्य योजना (JPOA):** यह संयुक्त कार्य योजना विनिमय कार्यक्रमों, प्रशिक्षण आदि के माध्यम से हमारे अंतरिक्ष सहयोग को और विकसित करने के लिए एक ठोस रोडमैप प्रदान करती है।
* **भारत के राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (NKN) और भूटान के डुक रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क के मध्य समझौते का नवीनीकरण:** इस समझौते से भारत एवं भूटान के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी तथा भूटान के वैज्ञानिकों एवं अनुसंधान संस्थानों को लाभ प्राप्त होगा।

भारत एवं भूटान के मध्य सहयोग के विभिन्न क्षेत्र

* **व्यापार एवं आर्थिक संबंध:** वर्ष 1972 में दोनों देशों के मध्य 'व्यापार, वाणिज्य तथा पारगमन समझौते' पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे वर्ष 2016 में अद्यतन किया गया। इस समझौते के माध्यम से दोनों देशों के मध्य एक मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना हुई है।
  - भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, इनके मध्य द्विपक्षीय व्यापार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है तथा भारत भूटान में निवेश का प्रमुख स्रोत बना हुआ है, जो भूटान की आर्थिक प्रगति में सहायक है।
  - उदाहरण- भूटान के साथ भारत का व्यापार 2014-15 में 484 मिलियन अमेरिकी डॉलर से लगभग तीन गुना बढ़कर 2021-22 में 1.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो भूटान के कुल व्यापार का लगभग 80% है।

in फोकस

- कृत्रिम बुद्धिमता : सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव एवं विनियमन
- मनी लॉन्ड्रिंग : सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभाव तथा चुनौतियां
- भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता : वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु आवश्यक

कृत्रिम बुद्धिमता
सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव एवं विनियमन

हाल ही में, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कृत्रिम बुद्धिमता मॉडल से संबंधित एक एडवाईजरी जारी की गई है। इसके अनुसार, किसी भी कृत्रिम बुद्धिमता मॉडल को भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए तैनात करने (deploying) से पहले केंद्र सरकार से 'अनिवार्य रूप' से 'स्पष्ट अनुमति' लेनी होगी।

- भारत सरकार ने ऐसा निर्णय कृत्रिम बुद्धिमता के दुरुपयोग एवं इसके व्यापक सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव के कारण लिया। हालांकि सरकार के इस कदम की आलोचना की गई, जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपनी पूर्व की एडवाईजरी में संशोधन किया।
- संशोधित एडवाईजरी के अनुसार, किसी भी अविश्वसनीय कृत्रिम बुद्धिमता मॉडल को भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए 'उत्पन्न आउटपुट की संभावित अंतर्निहित गिरावट या अविश्वसनीयता को उचित रूप से लेबल करने' के बाद ही उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यह प्रावधान एआई फाउंडेशनल मॉडल (AI Foundational Model), लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM), जेनरेटिव एआई सॉफ्टवेयर या एल्गोरिद्म आदि पर लागू होता है।
- AI मशीनों द्वारा प्रदर्शित बुद्धिमत्ता है। एआई समस्याओं को हल करने, सीखने मे मानव की विचार प्रक्रियाओं और व्यवहारों का अनुकरण करने में सक्षम होती है। जेनरेटिव एआई एक प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक है जो टेक्स्ट, इमेजरी और ऑडियो सहित विभिन्न प्रकार की सामग्री का निर्माण कर सकती है।

एआई : सकारात्मक सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभाव

- **ग्रामीण एवं कृषक कल्याण में वृद्धि:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर कृषि में आगतों को अधिक कुशलता से प्रयोग किया जा रहा है। यह कृषकों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में भी सहायक है।
- **शिक्षा के स्तर में सुधार:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर बेहतर प्रकार की शिक्षण सामाग्री का विकास किया जा रहा है। इसका प्रयोग कर सुदूर कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है। विभिन्न एडुटेक कम्पनियां कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर शिक्षा प्राप्त करने वालों को लाभान्वित कर रही हैं।
- **वृद्धजनों की देखभाल:** वर्तमान में समाज में एकल परिवार का चलन बढ़ा है, जिसके कारण वृद्धों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वर्तमान समय में इन समस्याओं का समाधान कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से किया जा रहा है।
- **स्वास्थ्य प्रणाली पर प्रभाव:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के हर एक क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए एमआईटी के शोधकर्ताओं ने यौगिकों के एक वर्ग की खोज की है जो दवा प्रतिरोधी जीवाणु को मार सकता है।
- **नीति निर्माण:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर लोगों की आवश्यकताओं को अधिक सटीकता से कम समय में विवेचित किया जा सकता है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए नवोन्मेषी नीति विकास में एआई का तेजी से उपयोग किया जा रहा है।
- **उन्नत राजनीतिक संदेश:** जेनरेटिव एआई का उपयोग बेहतर राजनीतिक संदेश तैयार करने के लिए किया जा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता बिग डेटा एनालिटिक्स में भी सहायक है जिसके माध्यम से क्षेत्र विशेष की जनता की आकांक्षा का कम समय में सटीकता से विश्लेषण किया जा सकता है।
- **नए राजनीतिक मंच:** एआई राजनीतिक जुड़ाव और वैचारिक प्रसार के लिए एक मंच के रूप में काम कर सकता है। उदाहरण के लिए- डेनमार्क की सिंथेटिक पार्टी अपनी राजनीतिक विचारधारा को आकार देने के लिए एआई चैटबॉक्स का उपयोग कर रही है।

एआई : नकारात्मक सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभाव

- **हिंसा को बढ़ावा देना:** आईएसआईएस और अल-कायदा जैसे संगठन लोगों के बीच राज्य-विरोधी भावनाओं को भड़काने के लिए नकली वीडियो का उपयोग करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर इस प्रकार के संदेश का प्रसार किया जा सकता है जो समाज में हिंसा का कारण बन सकता है।
- **रोजगार पर प्रभाव:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक, जो मानव कर्मचारियों की तुलना में कंपनियों के लिए अधिक लागत प्रभावी होने के साथ ही उत्पादक साबित हो सकती है, के उपयोग के कारण लोगों की नौकरी छूटने की आशंका है। हाल ही में डेविन नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान का विकास किया गया है जो विभिन्न प्रकार के कोड लिख सकता है। यह सॉफ्टवेयर इंजिनियर के रोजगार पर संकट उत्पन्न कर सकता हैं।
- **पर्यावरण पर प्रभाव:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिस्टम के लिए बहुत अधिक कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता होती है, जिसका पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। विश्लेषकों के अनुसार, 213 मिलियन मापदंडों के साथ एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल को केवल एक बार प्रशिक्षित करने में उतने ही कार्बन उत्सर्जन हुआ, जितना न्यूयॉर्क और बीजिंग के बीच 125 उड़ानों से होता है।

न्यायपालिका
- रिश्वतखोरी, विधायी विशेषाधिकारों द्वारा संरक्षित नहीं
- प्रवासी श्रमिकों हेतु राशन कार्ड: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
- पीआईबी के तहत तथ्य-जांच इकाई पर रोक

शासन एवं प्रणाली
- निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता की घोषणा
- 44 प्रतिशत लोकसभा सांसदों पर आपराधिक आरोप : ADR

समिति एवं आयोग
- 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' पर समिति की रिपोर्ट

राष्ट्रीय सुरक्षा
- अरुणाचल और नगालैंड में AFSPA का विस्तार
- डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म एवं चक्षु सुविधा

समारोह एवं आयोजन
- राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, 2024

न्यायपालिका

रिश्वतखोरी, विधायी विशेषाधिकारों द्वारा संरक्षित नहीं

4 मार्च, 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा दिये गए एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि कोई भी सांसद या विधायक सदन में वोट या भाषण के संबंध में रिश्वतखोरी के आरोप में अनुच्छेद 105 और 194 के तहत अभियोजन से छूट प्राप्त करने के लिए विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता।

- इस फैसले के साथ, शीर्ष अदालत ने अपने **1998 के पी.वी. नरसिम्हा राव निर्णय** को **खारिज** कर दिया है, जिसमें ऐसे सांसदों को छूट दी गई थी।
- सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, **रिश्वत लेना एक अलग अपराध है** जो संसद या विधान सभा के भीतर किसी सांसद/विधायक के कार्यों या शब्दों से जुड़ा नहीं है।
- इसलिए, **अनुच्छेद 105 और 194** के तहत प्रदान की गई छूट रिश्वतखोरी के मामलों तक विस्तारित नहीं होती है, क्योंकि ये कानून निर्माताओं के कर्तव्यों से संबंधित नहीं हैं।
- अदालत ने आगाह किया कि इस तरह की सुरक्षा देने से ऐसे व्यक्तियों का एक समूह तैयार हो जाएगा, **जो अनियमित कानूनी छूट का अनुपयुक्त लाभ** प्राप्त करेंगे।
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस बात पर भी जोर दिया गया कि सांसदों या विधायकों द्वारा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी **भारतीय संसदीय लोकतंत्र के कामकाज को कमजोर कर सकती** है।

सांसदों और विधायकों को विशेषाधिकार और छूट

- विशेषाधिकार, वे उन्मुक्तियां और छूट हैं जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधायिका, उनकी समितियों और उनके सदस्यों को प्राप्त हैं।
  - संविधान ने इन विशेषाधिकारों को उन व्यक्तियों तक भी विस्तारित किया है, जो किसी सदन या उसकी किसी समिति की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने के हकदार हैं। उदाहरण के लिए, भारत के अटॉर्नी जनरल।
- **संवैधानिक प्रावधान:** भारतीय संविधान के माध्यम से सांसदों [अनुच्छेद 105(2)] तथा राज्य के विधायकों [अनुच्छेद 194(2)] को विशेषाधिकार या लाभ प्राप्त हैं।
  - संविधान में उल्लेख है कि इन शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को समय-समय पर कानून द्वारा परिभाषित किया जाना चाहिए।
  - इन विशेषाधिकारों को विशेष प्रावधानों के रूप में माना जाता है और विवाद की स्थिति में इन्हें प्रभावी माना जाता है।
  - यहां यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि संसद या राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होने के बावजूद ये विशेषाधिकार राष्ट्रपति या राज्यपाल तक विस्तारित नहीं हैं।
- **उद्देश्य:** ये विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रदान की गई हैं-
  - सांसद/विधायक अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें तथा विधायिका के लोकतांत्रिक कामकाज के लिए आवश्यक कार्यों को बिना किसी बाधा के ठीक प्रकार से कर सकें।
  - ये विशेषाधिकार संसद एवं राज्य विधायिकाओं के सदनों को अपना अधिकार, गरिमा और सम्मान बरकरार रखने में मदद करते हैं।

प्रवासी श्रमिकों हेतु राशन कार्ड : सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

19 मार्च, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले 2 महीनों के भीतर असंगठित क्षेत्र के उन 8 करोड़ श्रमिकों को राशन कार्ड देने का निर्देश दिया, जिनके पास केंद्र के ई-श्रम पोर्टल के तहत पंजीकृत होने के बावजूद ये राशन कार्ड नहीं हैं।

- यह निर्देश **पिछले अदालती आदेशों के अनुपालन में** केंद्र और राज्यों की विफलता को संबोधित करता है। इसका उद्देश्य सुभेद्य आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- पीठ ने कहा कि ई-श्रम पंजीकरणकर्ताओं का 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) लाभार्थियों' के साथ मिलान पूरा हो चुका है; तथा इससे यह पता चला है कि 8 करोड़ व्यक्तियों के पास राशन कार्ड नहीं है, इस प्रकार वे एनएफएसए के तहत खाद्यान्न लाभ से वंचित हैं।

सार्वजनिक नीति

नागरिकता संशोधन नियम, 2024 अधिसूचित

11 मार्च, 2024 को गृह मंत्रालय द्वारा 'नागरिकता संशोधन नियम, 2024' (Citizenship Amendment Rules, 2024) को अधिसूचित किया गया, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 [Citizenship Amendment Act (CAA), 2019] के कार्यान्वयन को सक्षम करेगा।

- नागरिकता संशोधन नियम, 2024 के तहत **नागरिकता के लिए आवेदन प्रक्रिया** का निर्माण **नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6बी के तहत** किया गया है।
- आवेदकों को **छः प्रकार के दस्तावेज** उपलब्ध कराने होंगे और भारत में 'प्रवेश की तारीख' निर्दिष्ट करनी होगी।
- स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची में **जन्म प्रमाण पत्र, किरायेदारी रिकॉर्ड, पहचान पत्र** तथा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी कोई भी **लाइसेंस, स्कूल या शैक्षिक प्रमाण पत्र** शामिल हैं।
- आवेदकों को स्थानीय रूप से **प्रतिष्ठित सामुदायिक संस्थान द्वारा जारी** एक पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो पुष्टि करता है कि वह **'हिंदू/सिख/बौद्ध/जैन/पारसी/ईसाई समुदाय'** से संबंधित है।
- योग्य आवेदकों में भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय नागरिकों के पति-पत्नी, भारतीय नागरिकों के **नाबालिग बच्चे, पंजीकृत भारतीय नागरिक माता-पिता वाले व्यक्ति और भारत के विदेशी नागरिक कार्डधारक** शामिल हैं।
- तस्वीरों के साथ सभी **दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड** किए जाने हैं और **सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पृष्ठभूमि की जांच** के बाद आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी।
- यह सिद्ध करने के लिए कि नागरिकता चाहने वाले **आवेदक ने 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत में प्रवेश** किया था, उन्हें **पासपोर्ट की प्रतिलिपि, वीजा, जनगणना गणनाकर्ताओं द्वारा जारी पर्ची, पैन कार्ड, बिजली बिल, बीमा पॉलिसी** जैसे दस्तावेजों का एक और सेट प्रदान करना होगा।

नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019

- **नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 का उद्देश्य** 1955 के नागरिकता संशोधन अधिनियम को संशोधित करना है। यह अवैध प्रवासियों की विशेष श्रेणियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है।
- इसमें प्रस्तावित है कि **अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के छः अल्पसंख्यक**- हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई; यदि वे **31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले** उचित दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें अवैध अप्रवासी नहीं माना जाएगा।
- **अधिनियम का मुख्य लक्ष्य** भारत के पड़ोसी मुस्लिम-बहुल देशों (अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश) से आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्राप्त करने में मदद करना है।
- इस अधिनियम में **प्राकृतिककरण** (Naturalization) के माध्यम से स्थायी नागरिकता प्राप्त करने के लिए निवास की अवधि को **11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष** कर दिया गया है।
- निर्दिष्ट समुदायों से संबंधित व्यक्तियों पर **विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत आपराधिक मुकदमा चलाने से छूट** दी गई है, बशर्ते वे 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत आए हों।
- अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता के प्रावधान निम्नलिखित **दो श्रेणियों पर लागू नहीं** होंगे:
  - 'इनर लाइन परमिट' द्वारा संरक्षित क्षेत्र।
  - संविधान की 'छठी अनुसूची' के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।
- नागरिकता आवेदन **प्रक्रिया ऑनलाइन आयोजित** की जाएगी, जिसमें एक अधिकार प्राप्त समिति जिला-स्तरीय समितियों के माध्यम से सभी आवेदनों की जांच की निगरानी करेगी।
- प्रत्येक राज्य की **अधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता जनगणना संचालन निदेशक** करेंगे और इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो, पोस्ट मास्टर जनरल, राज्य या राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के अधिकारियों के एक-एक प्रतिनिधि के साथ-साथ गृह विभाग तथा मंडल रेल प्रबंधक आमंत्रित अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
- **जिला स्तरीय समिति की अध्यक्षता वरिष्ठ अधीक्षक** (Senior Superintendent) या डाक अधीक्षक (Superintendent of Post) करेंगे।

प्रेस एवं आवधिक पंजीकरण अधिनियम, 2023

हाल ही में, भारत सरकार द्वारा ऐतिहासिक 'प्रेस एवं आवधिक पंजीकरण अधिनियम' (PRP Act), 2023 तथा इसके नियमों को अपने राजपत्र में अधिसूचित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप यह अधिनियम 1 मार्च, 2024 से लागू हो गया है।

रिपोर्ट एवं सूचकांक

राष्ट्रीय रिपोर्ट एवं सूचकांक

भारत रोजगार रिपोर्ट, 2024

26 मार्च, 2024 को मानव विकास संस्थान (IHD) और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा जारी 'भारत रोजगार रिपोर्ट, 2024' (India employment report, 2024) के अनुसार भारत में काम की तलाश में लगे कुल बेरोजगारों में 83% युवा हैं।

- रिपोर्ट को **अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन** (ILO) के सहयोग से **मानव विकास संस्थान** द्वारा तैयार किया गया है।
- रिपोर्ट में **2000 और 2022 के बीच राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण** और **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण** के डेटा विश्लेषण का उपयोग किया गया है।

- यह रिपोर्ट **भारत के उभरते आर्थिक, श्रम बाजार, शैक्षिक एवं कौशल परिदृश्य** में युवा रोजगार की चुनौतियों पर प्रकाश डालती हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, 2000-2019 के दौरान दीर्घकालिक गिरावट के बाद **हाल के वर्षों में** भारत में **समग्र श्रम बल भागीदारी, कार्यबल भागीदारी और रोजगार दरों में सुधार** हुआ है।
- वर्ष 2019 के बाद से विशेषकर **ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम बाजार भागीदारी दर में वृद्धि** हुई है। इसी प्रकार, **कृषि से गैर-कृषि क्षेत्रों के कार्यबल** में भी क्रमिक बदलाव देखने को मिला है।
- अनौपचारिक क्षेत्र में लगभग **82% श्रमिकों के साथ स्व-रोजगार और अनियमित रोजगार (Casual Employment)** की प्रधानता रही है।
- 2012 और 2022 के बीच **अनियमित मजदूरों की मजदूरी में मामूली वृद्धि** देखी गई है, जबकि नियमित श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी स्थिर रही है अथवा उसमें गिरावट आई है।
- भारत में **2030 में प्रवासन दर लगभग 40 प्रतिशत** होने की उम्मीद है, जिससे शहरी आबादी लगभग 607 मिलियन हो जाएगी।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में **अनुबंध आधारित कार्य अथवा ठेकेदारी प्रथा में वृद्धि** हुई है। दीर्घकालिक अनुबंधों के दायरे में आने वाले नियमित श्रमिकों की संख्या अत्यंत सीमित है।
- भारत में **'युवाओं के रोजगार'** (Youth Employment) की गुणवत्ता **'वयस्कों के रोजगार'** (Adults Employment) की तुलना में **काफी हद तक खराब** है।
- भारत का बड़ा युवा कार्यबल एक **जनसांख्यिकीय लाभांश** के रूप में है। किंतु, **कौशल के अभाव** में 75% युवा संलग्नक के साथ ईमेल भेजने, 60% फाइलों को कॉपी और पेस्ट करने तथा 90% युवा गणितीय सूत्र को एक स्प्रेडशीट में लिखने में असमर्थ हैं।
- **सबसे अधिक युवा बेरोजगारी दर स्नातक डिग्री** वाले युवाओं में है, साथ ही यह संख्या पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक है।
- वे महिलाएं जो रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण में संलग्न नहीं हैं, का अनुपात उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक (48.4% बनाम 9.8%) है।
- रोजगार क्षेत्र में सुधार के लिए रिपोर्ट में निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं:
  - रोजगार सृजन को बढ़ावा देना।
  - रोजगार की गुणवत्ता में सुधार।
  - श्रम बाजार की असमानताओं को संबोधित करना।
  - कौशल और सक्रिय श्रम बाजार नीतियों को मजबूत करना।
  - श्रम बाजार प्रतिरूप में सुधार करना तथा रोजगार के संदर्भ में युवाओं में दिखाई देने वाली कौशल एवं ज्ञान की कमी को पाटना।
- **मानव विकास संस्थान** (IHD) की **स्थापना वर्ष 1998** में इंडियन सोसाइटी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स (ISLE) द्वारा की गई थी।
  - इसका उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना में मदद करना है, जो गरीबी और अभाव से मुक्त समावेशी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था को बढ़ावा दे सके।
  - संस्थान का मुख्य कार्य श्रम एवं रोजगार, आजीविका, लिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा मानव विकास के अन्य क्षेत्रों पर शोध करना है।

'भारत में तेंदुओं की स्थिति' रिपोर्ट

29 फरवरी, 2024 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव द्वारा 'भारत में तेंदुओं की स्थिति' पर रिपोर्ट जारी की गई।

सामाजिक परिदृश्य

अतिसंवेदनशील वर्ग
- दृष्टिबाधित और श्रवणबाधित दिव्यांगों हेतु समझौता

जनसांख्यिकीय परिवर्तन
- भारत में प्रजनन दर पर लैंसेट का अध्ययन

सामाजिक कल्याण
- PM-SURAJ पोर्टल

महिला सशक्तीकरण
- 'ऑफ द विमेन, बाय द विमेन, फॉर द विमेन' शीर्षक से अध्ययन

अतिसंवेदनशील वर्ग

दृष्टिबाधित और श्रवणबाधित दिव्यांगों हेतु समझौता

हाल ही में, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (DePWD) ने बोलने और सुनने में अक्षम दिव्यांगजनों की सहायता के लिए साइनएबल कम्युनिकेशंस (SignAble Communications) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

- इस **समझौता ज्ञापन का उद्देश्य** दृष्टिबाधित और श्रवणबाधित दिव्यांगों के लिए सम्पर्क एवं पहुंच को बढ़ाना है, इस प्रकार यह दिव्यांगों को सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- वाक् और श्रवण बाधित दिव्यांगों की सहायता के लिए, साइनएबल कम्युनिकेशंस सहयोग **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व वित्तपोषण** (CSR Funding) के माध्यम से भारतीय **सांकेतिक भाषा (ISL) दुभाषिए** प्रदान करेगा। इसके लिए हेल्पलाइन को सप्ताह के सभी दिनों में सुबह 9:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक संचालित किया जाएगा।
- वर्तमान में, विभिन्न विभागीय संगठन **अलग-अलग हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग** करते हैं, जिससे उपयोगकर्ता के अनुकूल किसी एक नम्बर को केंद्रीय रूप से शॉर्ट कोड हेल्पलाइन नंबर बनाना महत्वपूर्ण हो जाता है।
- 8 जनवरी, 2024 को **इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट, गोवा** (International Purple Fest, Goa) में दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन, 'शॉर्ट कोड-14456' लॉन्च की गई थी।
- **अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज** (दिव्यांगजन) [AYJNISHD (D)]- ने 27 जनवरी, 2024 को निम्नलिखित सुविधाओं के साथ हेल्पलाइन सेवाएं शुरू कीं हैं:
  - दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा उपलब्ध कराया गया संक्षिप्त टोल फ्री कोड: 14456
  - बेटॉकिटेक-चेन्नई द्वारा प्रदत्त उन्नत क्लाउड-आधारित 'इन-वेहिकल वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम' (IVVRS)।
  - अतिरिक्त चैनल तथा पहले से रिकॉर्ड की गई आवाज में 21 दिव्यांगताओं के बारे में जानकारी प्रदान करना।
  - अंग्रेजी एवं हिंदी में सहायता के लिए 6 कॉल सेंटरों पर स्थापित की गई आईवीआरएस (IVRS) सामग्री।

दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण हेतु प्रयास

- अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) और अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD) द्वारा 'स्पार्किंग डिसेबिलिटी इन्क्लुसिव रूरल ट्रांसफोर्मेशन' परियोजना (SPARK)
- विशिष्ट नि:शक्तता पहचान पोर्टल, सुगम्य भारत अभियान
- दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना
- दिव्यांगजनों के लिये सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग में सहायता की योजना
- दिव्यांग छात्रों के लिये राष्ट्रीय फैलोशिप
- दिव्यांगजनों के अद्वितीय पहचान पत्र (UDID)।

जनसांख्यिकीय परिवर्तन

भारत में प्रजनन दर पर लैंसेट का अध्ययन

हाल ही में, लैंसेट जर्नल (Lancet Journal) में प्रकाशित एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate: TFR) वर्ष 2050 तक घटकर 1.29 [2.1 की प्रतिस्थापन सीमा से काफी नीचे] हो जाएगी।

- अध्ययन के अनुसार, **वर्ष 1950 एवं 2021 के बीच वैश्विक स्तर पर कुल प्रजनन दर** (TFR) में आधे से भी अधिक की कमी दर्ज की गई है। TFR वर्ष 1950 में प्रति महिला लगभग 5 बच्चों से घटकर वर्ष **2021 में 2.2 बच्चे** हो गई है।
- इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि **आने वाले समय में भी TFR में निरंतर वैश्विक गिरावट** जारी रहेगी और वर्ष 2050 तक अनुमानित वैश्विक कुल प्रजनन दर 1.83 तथा वर्ष 2100 तक 1.59 हो जायेगी।
- क्षेत्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष **1950 में** वैश्विक स्तर पर जन्म लेने वाले शिशुओं की एक-तिहाई संख्या दक्षिण-पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया एवं ओशिनिया में थी।

कल्याणकारी योजनाएं

एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज योजना

4 मार्च, 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में 'डेफकनेक्ट, 2024' (DefConnect 2024) के दौरान उपयोगी एवं रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए 'एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद iDEX' (Acing Development of Innovative Technologies with iDEX -ADITI) योजना का शुभारंभ किया।

- यह योजना रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग (DDP) के रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDEX) प्रारूप के अंतर्गत आती है।
- अन्य iDEX पहलों के साथ, इस योजना का उद्देश्य भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है तथा वैश्विक पहचान दिलाना है।
- इस योजना का लक्ष्य आधुनिक सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं और रक्षा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के बीच अंतर को पाटते हुए 2023-24 और 2025-26 के बीच लगभग 30 डीप-टेक महत्वपूर्ण और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों को विकसित करना है।
- ADITI योजना के तहत 750 करोड़ रुपए का कोष आवंटित किया गया है। साथ ही, रक्षा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान, विकास और नवाचार प्रयासों के लिए स्टार्टअप्स को 25 करोड़ तक की अनुदान सहायता दी जाएगी।
  - iDEX प्राइम के तहत, युवा इनोवेटर्स को प्रेरित करते हुए दी जाने वाली सहायता को 1.5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है।

इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (iDEX)

- इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (iDEX) डिफेंस इनोवेशन ऑर्गनाइजेशन (DIO) का परिचालन ढांचा है, जो भारतीय रक्षा के लिए नवाचार का समर्थन करता है, भारतीय सशस्त्र सेवाओं में प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए मार्ग तैयार करता है तथा भारत के भविष्य के रक्षा उद्यमों को बढ़ावा देता है।
- iDEX को अप्रैल 2018 में रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के तहत रक्षा नवाचार संगठन (DIO) पहल के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था।

डेफकनेक्ट, 2024

- **'डेफकनेक्ट, 2024' का आयोजन** रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के तत्वावधान में रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार-रक्षा नवाचार संगठन (iDEX-DIO) द्वारा किया गया था।
- डेफकनेक्ट 2024 देश के **रक्षा नवाचार परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका** निभाता है। यह सशस्त्र बलों, रक्षा उद्योग के नेताओं, स्टार्ट-अप, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं सहित प्रमुख हितधारकों को एक मंच पर लाता है।
- **आयोजन का उद्देश्य** अर्थपूर्ण जुड़ाव को बढ़ावा देना, अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन करना है। यह आयोजन रक्षा क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए एक परिवर्तित मंच के रूप में कार्य करता है।

संशोधित औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना

11 मार्च, 2024 को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग द्वारा 'संशोधित औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना' (RPTUAS) की घोषणा की गई।

- इस संशोधित योजना को **28 दिसंबर, 2023** को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी **'औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945' की संशोधित अनुसूची-एम** (Schedule-M) की आवश्यकताओं के आलोक में योजना संचालन समिति द्वारा एक व्यापक समीक्षा के बाद मंजूरी दी गई है।

योजना की विशेषताएं

- **RPTUAS के उद्देश्य:** औषधि (फार्मास्यूटिकल) उद्योग को संशोधित अनुसूची-M और WHO-गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस (WHO-GMP) मानकों के अनुरूप अपग्रेड करने में सहायता करना तथा भारत में निर्मित औषधि उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा को बढ़ावा देना।

विरासत एवं संस्कृति

विरासत स्थल एवं स्मारक

- यूनेस्को की संभावित सूची में 6 विरासत स्थल
- भू-विरासत स्थल : पांडवुला गुट्टा

कला के विविध रुप

- माजुली मास्क और माजुली पांडुलिपि पेंटिंग

उत्सव एवं पर्व

- सिक्किम का बुमचू महोत्सव

आंदोलन एवं विद्रोह

- वायकोम सत्याग्रह के 100 वर्ष

व्यक्तित्व

- लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा

व्यक्तित्व

लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा

9 मार्च, 2024 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्वी असम के जोरहाट जिले में अहोम जनरल लाचित बोरफुकन (Lachit Borphukan) की 125 फुट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया।

- इस मूर्ति का निर्माण पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित मूर्तिकार राम वनजी सुतार (Ram Vanji Sutar) द्वारा किया गया है।
- इस मूर्ति का अनावरण **लाचित बोरफुकन मैदाम विकास परियोजना** (Barphukan Maidam Development Project) के अंतर्गत किया गया है। सरकार की योजना इसे एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की है।
- लाचित बरफुकन मैदाम विकास परियोजना के तहत अहोम राजवंश के **600 वर्षों** के शासन के इतिहास को प्रदर्शित करने वाली एक गैलरी बनाई जा रही है।

लाचित बोरफुकन के बारे में

- लाचित बोरफुकन का जन्म 24 नवंबर, 1622 को अहोम राजाओं (Ahom kings) की पहली राजधानी चराइदेव (Charaideo) में हुआ था। लाचित बोरफुकन वर्तमान के असम में स्थित अहोम साम्राज्य (Ahom dynasty) के सेनापति थे।
- उन्हें राजा **चक्रध्वज सिंघा** (Charadhwaj Singha) द्वारा अहोम साम्राज्य के पांच बोरफुकन में से एक के रूप में चुना गया था और प्रशासनिक, न्यायिक एवं सैन्य जिम्मेदारियां दी गई थीं।
- उन्होंने मुगल सेना के खिलाफ दो लड़ाइयों का नेतृत्व किया- सराईघाट का युद्ध (Battle of Saraighat) तथा अलाबोई का युद्ध (Battle of Alaboi)।
- उन्हें सराईघाट के युद्ध (1671) में अनुकरणीय सैन्य नेतृत्व के लिए जाना जाता है।
- बोरफुकन ने युद्ध में **गुरिल्ला रणनीति** को प्राथमिकता दी, जिससे उनकी छोटी मगर कुशल सेना को बढ़त मिलती थी।
- लाचित बोरफुकन अपनी महान नौ-सैन्य रणनीतियों के लिए जाने गए। उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई विरासत ने भारतीय नौसेना को मजबूत करने तथा अंतर्देशीय जल परिवहन को पुनर्जीवित करने के पीछे प्रेरणा के रूप में काम किया।
- लाचित बोरफुकन के पराक्रम और सराईघाट की लड़ाई में असमिया सेना की विजय का स्मरण करने के लिए संपूर्ण असम राज्य में प्रतिवर्ष 24 नवंबर को लाचित दिवस (Lachit Diwas) मनाया जाता है।

अहोम साम्राज्य (1228-1826)

- यह असम में ब्रह्मपुत्र घाटी में एक 'उत्तर मध्यकालीन' साम्राज्य था। अहोम राजाओं की राजधानी शिवसागर जिले में वर्तमान जोरहाट के निकट गढ़गाँव में थी।
- अहोम राजाओं ने 13वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य, वर्तमान असम एवं पड़ोसी राज्यों में स्थित क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पर शासन किया।
- यह साम्राज्य लगभग 600 वर्षों तक अपनी संप्रभुता बनाए रखने और पूर्वोत्तर भारत में मुगल विस्तार का सफलतापूर्वक विरोध करने के लिए जाना जाता है।
- मुगलों द्वारा पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लेने के बावजूद असम में अहोम राज्य 6 शताब्दी (1228-1835 ई.) तक कायम रहा। इस अवधि में 39 अहोम राजा गद्दी पर बैठे।
- इसकी स्थापना मोंग माओ (Mong Mao) के एक ताई राजकुमार 'सुकाफा' (Tai prince 'Sukaphaa') ने की थी।
- 16वीं शताब्दी में सुहंगमुंग (Suhungmung) के तहत राज्य का अचानक विस्तार हुआ और यह राज्य चरित्र में बहु-जातीय बन गया, जिसने संपूर्ण ब्रह्मपुत्र घाटी के राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला।

मुद्रा एवं बैंकिंग

- ओम्निबस एसआरओ फ्रेमवर्क: भारतीय रिजर्व बैंक

संस्थान एवं निकाय

- राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड

वित्त क्षेत्र

- PMLA 2002 के तहत Paytm पर जुर्माना
- T+0 सेटलमेंट के बीटा संस्करण हेतु मंजूरी
- गैर-सरकारी संगठनों के लिए FCRA पंजीकरण का विस्तार

गरीबी एवं रोजगार

- विश्व बैंक: भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश पर जोखिम

करारोपण

- जीएसटी की जांच हेतु नए दिशा-निर्देश

व्यापार एवं निवेश

- वैकल्पिक निवेश कोष के संदर्भ में आरबीआई के नए दिशा-निर्देश

कृषि एवं संबंधित क्षेत्र

- तेल रहित चावल की भूसी के निर्यात प्रतिबंध में बढ़ोत्तरी

बौद्धिक संपदा अधिकार

- भौगोलिक संकेतक (GI) टैग की अद्यतन सूची

उद्योग एवं व्यापार

- उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए पहल

मुद्रा एवं बैंकिंग

ओम्निबस एसआरओ फ्रेमवर्क: भारतीय रिजर्व बैंक

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी विनियमित संस्थाओं (RE) के लिए स्व-नियामक संगठनों (SRO) को मान्यता देने के लिए ओम्निबस फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देने की घोषणा की है।

- **रूपरेखा का उद्देश्य** विनियमित संस्थाओं (RE) के बढ़ते संचालन और नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के साथ-साथ स्व-नियमन के लिए उद्योग मानकों में सुधार करना है।
- **ऑम्निबस फ्रेमवर्क** स्व-नियामक संगठनों (SRO) को मान्यता देने के लिए दिशा-निर्देशों और विनियमों का एक व्यापक सेट है।
- **ओम्निबस एसआरओ** (Omnibus SRO) ढांचा क्षेत्र की परवाह किए बिना सभी एसआरओ के लिए सामान्य **उद्देश्य, कार्य, पात्रता मानदंड और शासन मानक** निर्धारित करता है।
- यह RBI द्वारा मान्यता प्राप्त होने के लिए **SRO के लिए सदस्यता मानदंड और शर्तें** भी स्थापित करता है।
- **फ्रेमवर्क न्यूनतम आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व** करता है, और मान्यता प्राप्त SRO को अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- **फ्रेमवर्क के व्यापक मापदंडों के भीतर**, SRO को मान्यता देने के लिए आवेदन मांगते समय रिजर्व बैंक क्षेत्र-विशिष्ट अतिरिक्त शर्तें लगा सकता है।
- यह विभिन्न क्षेत्रों के लिए **अलग-अलग सेक्टर-विशिष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की अनुमति** देते हुए नियामक निरीक्षण के लिए एक समन्वित और एकीकृत दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करता है।
- इसका **उद्देश्य SRO** के भीतर पारदर्शिता, व्यावसायिकता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है, जिससे वे जिन क्षेत्रों को विनियमित करते हैं, उनकी अखंडता में विश्वास पैदा किया जा सके।

संस्थान एवं निकाय

राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड

2 मार्च, 2024 को सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में देश के विकास में लोगों की भागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के शीर्ष निकाय के रूप में 'राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड' (NUCFDC) का उद्घाटन किया।

- NUCFDC भारत में **आत्मनिर्भरता को बढ़ावा** देने के लिए **'सहकार से समृद्धि'** के लक्ष्य का समर्थन करता है। इसका उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक बनाना और सुदृढ़ करना है। यह **एक स्व-नियामक संगठन** के रूप में भी कार्य करेगा तथा सहकारी बैंकों को विशेष कार्य और सेवाएँ प्रदान करेगा। साथ ही यह बैंकों और नियामकों के बीच संचार की सुविधा प्रदान करेगा और शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के समक्ष आने वाली चुनौतियों से निपटेगा।
- इस निकाय को **गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी** (NBFC) के रूप में काम करने के लिए **भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र** (Certificate of Registration) प्रदान किया गया है।
- शहरी सहकारी बैंकों का समर्थन करने से **लघु किसानों तथा अन्य कमजोर वर्गों** को उनकी आर्थिक गतिविधियों के विस्तार में परोक्ष रूप से मदद मिलेगी।
- NUCFDC की भूमिका बैंकों और नियामकों के बीच एक समन्वय इकाई के रूप में कार्य करने की है, इससे यह **राज्य और केंद्र सरकारों** को जमीनी वास्तविकता के आधार पर **नीति बनाने में मदद** करेगा।
- NUCFDC के माध्यम से **सहकारी बैंकों को एक प्रौद्योगिकी मंच प्राप्त** होगा, जो सेवा वितरण में सुधार, लागत में कमी तथा प्रौद्योगिकी बाधाओं को दूर करने में मदद करेगा।

अंतरराष्ट्रीय संबंध व संगठन

बैठक एवं सम्मेलन
- WTO का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन
- SCO स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण

द्विपक्षीय संबंध
- भारत-ब्राजील 2+2 वार्ता
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की मॉरीशस यात्रा
- पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना

संगठन एवं फोरम
- अफ्रीका क्लब

संधि एवं समझौते
- भारत- EFTA समझौता
- याउंडे घोषणा-पत्र

अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम
- फ्रांस में गर्भपात संवैधानिक अधिकार
- छोटे द्वीपीय विकासशील देश

मानचित्र के माध्यम से
- मेकांग डेल्टा
- टोंकिन की खाड़ी
- खुरासान
- अफानसी निकितिन सीमाउंट

बैठक एवं सम्मेलन

WTO का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन

26 फरवरी से 2 मार्च, 2024 के मध्य **संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी** में विश्व व्यापार संगठन (WTO) का **13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (13th Ministerial Conference)** आयोजित हुआ।

- इस सम्मेलन में बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के कामकाज की समीक्षा करने और WTO के भविष्य की कार्यवाहियों पर विचार विमर्श करने के लिए विश्व भर के मंत्रियों ने भाग लिया।
- सम्मेलन की अध्यक्षता संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार राज्य मंत्री **थानी बिन अहमद अल जायौदी (Thani bin Ahmed Al Zeyoudi)** ने की।
- मंत्रिस्तरीय सम्मेलन, जिसमें व्यापार मंत्री और संगठन के **164 सदस्यों** के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, WTO का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है।
- इस दौरान दो सबसे अल्प विकसित देशों **कोमोरोस और तिमोर-लेस्ते** को विश्व व्यापार संगठन में शामिल किया गया।
- इससे **संगठन की सदस्यता 166** हो गई है, जो **विश्व व्यापार का 98% प्रतिनिधित्व** करता है।
- सदस्यों ने WTO के मूल में बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को संरक्षित और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए **अबू धाबी मंत्रिस्तरीय घोषणा** (Abu Dhabi Ministerial Declaration) को अपनाया।
- सम्मेलन में सदस्यों ने **2024 तक** पूरी तरह **कार्यात्मक विवाद निपटान प्रणाली** बनाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है।
- विकासशील और अल्प-विकसित देशों के लिए विशेष और विभेदक उपचार (Special and Differential Treatment) प्रावधानों के उपयोग में सुधार के उपायों पर सहमति हुई।
- इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क स्थगन को **मार्च 2026 तक** बढ़ा दिया गया है।
- प्रगति के बावजूद, मत्स्य पालन सब्सिडी और कृषि वार्ता पर समझौते अनिर्णायक रहे।

SCO स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण

19 मार्च, 2024 को शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम (SCO Startup Forum) का चौथा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

- यह सभी SCO सदस्य देशों के स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र के हितधारकों के लिए बातचीत और सहयोग करने का एक मंच है।
- यह फोरम वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) द्वारा आयोजित किया गया।
- इस फोरम का उद्देश्य नवाचार की भावना को बढ़ावा देना, अधिक रोजगार सृजन करना, युवा प्रतिभाओं को नवीन समाधान बनाने के लिए प्रोत्साहित करना एवं SCO सदस्य देशों के मध्य स्टार्टअप इंटरैक्शन का विस्तार करना आदि है।
- भारत की स्थायी अध्यक्षता में **स्टार्टअप और इनोवेशन पर SCO विशेष कार्य समूह** (Special Working Group on Startups and Innovation) की पहली बैठक 2023 में 'ग्रोइंग फ्रॉम रूट्स' (Growing from Roots) विषय पर आयोजित की गई थी।
- भारत नवंबर 2024 में स्टार्टअप और इनोवेशन के लिए विशेष कार्य समूह की दूसरी बैठक और जनवरी 2025 में SCO स्टार्टअप फोरम 5.0 की मेजबानी करेगा।

पर्यावरण एवं जैव विविधता

वन्यजीव संरक्षण

- राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र (NDRC)
- फिशिंग गियर के कारण खतरे में राइट व्हेल
- भारत में गोल्डन लंगूर की आबादी का अनुमान

जैव विविधता

- टैनियोगोनालोस दीपकी: ततैया की नई प्रजाति
- यूस्कॉर्पियोप्स क्रेचन
- आइसोपॉड की नई प्रजाति ब्रूसथोआ इसरो
- बटरफ्लाई सिकाडा की नई प्रजाति

भूगर्भिक अवशेष

- मैग्नेटोफॉसिल्स तलछट की खोज

पर्यावरण संरक्षण

- कोरल रीफ वॉच प्रोग्राम
- अर्थ ऑवर 2024
- प्रवाल भित्तियों के लिए समुद्री खीरे का महत्त्व
- ब्लू लीडर्स उच्च-स्तरीय कार्यक्रम

वन्यजीव संरक्षण

राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र (NDRC)

4 मार्च, 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना में गंगा नदी के निकट **राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र** (NDRC) का उद्घाटन किया गया।

- एनडीआरसी न सिर्फ भारत में बल्कि एशिया में भी **अपनी तरह का पहला संस्थान** है।
- यह लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण पर अनुसंधान के लिए भारत का पहला केंद्र है और इसका उद्देश्य गंगा डॉल्फिन का व्यापक अध्ययन करने में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की सहायता करना है।
- इसके अंतर्गत विभिन्न पहलुओं जैसे कि बदलते व्यवहार, जीवित रहने के कौशल, भोजन की आदतें, मृत्यु के कारण आदि पर व्यापक अनुसंधान किया जाएगा।

गंगा नदी डॉल्फिन

- केंद्र सरकार ने 5 अक्टूबर, 2009 को गंगा नदी डॉल्फिन (Ganges River Dolphin) को **राष्ट्रीय जलीय जीव** घोषित किया था।
- यह वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की **अनुसूची I** के तहत सूचीबद्ध है तथा इसे अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) द्वारा **संकटग्रस्त** (Endangered) प्रजाति घोषित किया गया है।
- गंगा नदी की डॉल्फिन विश्व की **4 मीठे पानी की डॉल्फिन प्रजातियों** में से एक है। अन्य तीन के अंतर्गत चीन में यांग्त्जी नदी (अब यह प्रजाति विलुप्त है), पाकिस्तान में सिंधु नदी और दक्षिण अमेरिका में अमेजॅन नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन शामिल हैं।
- डॉल्फिन भारत, बांग्लादेश और नेपाल में पाई जाती है।
- यह एक **स्तनधारी जीव है,** जो देख नहीं सकती है और प्रतिध्वनिस्थान-निर्धारण (Echolocation) के माध्यम से नदी के जल में अपना रास्ता और शिकार ढूंढ़ती हैं।
- भारत में अनुमानित रूप से 3,000 गंगा डॉल्फिन में से लगभग आधी बिहार में पाई जाती हैं।
- बिहार में ये सारण जिले के डोरीगंज में गंगा और सरयू नदियों के संगम और सोनपुर में गंगा और गंडक के संगम पर, कटिहार जिले के कुर्सेला के पास गंगा और कोसी के संगम पर तथा पटना और भागलपुर जिलों के कुछ हिस्सों में पाई जाती हैं।
- डॉल्फिन कम से कम 5 से 8 फीट गहरा पानी पसंद करती हैं। वे आमतौर पर **अशांत पानी** में पाई जाती हैं, जहां उनके खाने के लिए पर्याप्त मछलियां होती हैं।
- गंगा नदी की डॉल्फिन ऐसे क्षेत्र में रहती हैं, जहां बहुत कम या कोई जल-धारा नहीं होती, जिससे उन्हें ऊर्जा बचाने में मदद मिलती है।

फिशिंग गियर के कारण खतरे में राइट व्हेल

हाल ही के एक अध्ययन से पता चला है कि **मछली पकड़ने के गियर (fishing gear)** में फंसने के बाद मादा 'राइट व्हेल' (Right Whale) कभी प्रजनन नहीं कर पाती हैं।

- राइट व्हेल सभी बड़े आकार की व्हेलों में सबसे दुर्लभ हैं।
- राइट व्हेल (family Balaenidae), मोटे शरीर वाली व्हेल की चार प्रजातियों में से एक है, जिसका विशाल सिर उनके शरीर की कुल लंबाई का एक-चौथाई से एक-तिहाई तक होता है।
- विश्व के विभिन्न हिस्सों में राइट व्हेल की निम्नलिखित तीन प्रजातियां पाई जाती हैं-
  1. दक्षिणी राइट व्हेल (Eubalaena australis)
  2. उत्तरी अटलांटिक राइट व्हेल (Eubalaena glacialis)
  3. उत्तरी प्रशांत राइट व्हेल (Eubalaena japonica)
- यद्यपि ये प्रजातियां आनुवंशिक रूप से और संरक्षण स्थिति में भिन्न हैं, परन्तु उनके बाह्य स्वरूप में कोई खास अंतर नहीं होता।

अंतरिक्ष एवं ब्रह्मांड विज्ञान

- आइसक्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला एवं ताऊ न्यूट्रिनो
- पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान : पुष्पक
- मंगल ग्रह पर नोक्टिस ज्वालामुखी
- सबसे पुरानी ज्ञात मृत आकाशगंगा
- गगनयान मिशन के लिए SAKHI ऐप

प्रौद्योगिकीय पहलें

- समुद्रयान मिशन

नवीन प्रौद्योगिकी

- थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन
- स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर
- इंडियाएआई मिशन

रक्षा–विज्ञान

- MIRV तकनीक से युक्त अग्नि-V

अंतरिक्ष एवं ब्रह्मांड विज्ञान

आइसक्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला एवं ताऊ न्यूट्रिनो

अंटार्कटिका में 'आइसक्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला' के डेटा का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों का यह दावा है कि उन्हें संभावित रूप से खगोलीय ताऊ न्यूट्रिनो (Tau Neutrinos) कणों का पहला प्रमाण मिला है। ताऊ न्यूट्रिनो को खोजना अत्यधिक कठिन है, इसीलिए उन्हें 'घोस्ट पार्टिकल्स' कहा जाता है।

- वैज्ञानिकों ने **ताऊ न्यूट्रिनों** की पुष्टि से संबंधित निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए 2011 से 2020 तक आइसक्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला के डेटा का उपयोग किया। आइसक्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक वैज्ञानिक उपकरण है, जो न्यूट्रिनो नामक **उपपरमाणिवक कणों** (Subatomic Particles) का पता लगाता है।
- आइसक्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला का निर्माण और रख-रखाव **आइसक्यूब** सहयोग (IceCube Collaboration) द्वारा किया जाता है, जिसमें अमेरिका के मैडिसन शहर स्थित विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के नेतृत्व में विश्व भर के कई विश्वविद्यालय शामिल हैं। आइसक्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में बर्फ की सतह के ऊपर कई **डिटेक्टर** तथा सतह से 1.4 किमी. नीचे हजारों सेंसर लगे हुए हैं।
- **न्यूट्रिनो के तीन प्रकार होते हैं:** इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और ताऊ न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो हल्के कण होते हैं, जो किसी भी पदार्थ के साथ **बहुत कम अंतरक्रिया** करते हैं। यही कारण है कि इनका पता लगाना काफी कठिन होता है।
- न्यूट्रिनो डिटेक्टर का **संग्रहण क्षेत्र जितना बड़ा** होगा, न्यूट्रिनो को पहचानने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। यही कारण है कि इस प्रकार के डिटेक्टर आकार में काफी बड़े निर्मित किये जाते हैं।
- आइसक्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला विश्व का सबसे बड़ा 'न्यूट्रिनो टेलीस्कोप' है; इसके सेंसर एक घन किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। जब एक न्यूट्रिनो सेंसर के संपर्क में न्यूट्रिनो आता है, तो इससे कुछ आवेशित कण और कुछ विकिरण उत्पन्न होता है।
- वेधशाला में लगे सेंसर, न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिए इसी विकिरण का पता लगाते हैं। इसके साथ ही इस विकिरण का प्रयोग न्यूट्रिनो खगोलीय कण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान : पुष्पक

22 मार्च, 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 'पुष्पक' नामक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल (Reusable Launch Vehicle) की लैंडिंग का सफल परीक्षण किया। इसका नामकरण प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के पौराणिक अंतरिक्ष यान 'पुष्पक' के नाम पर रखा गया है।

- यह परीक्षण आंध्र प्रदेश के **चित्रदुर्ग स्थित वैमानिकी परीक्षण रेंज में** किया गया। पुष्पक को 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया। प्रयोग के दौरान यह रनवे पर सटीक रूप से उतरा।
- पुष्पक 6.5 मीटर लंबा तथा 1.75 टन वजन वाला स्पेसक्राफ्ट है। यह एक 'ऑटोमेटेड' रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, यानी इसके उतारने में मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता न के बराबर है। पुष्पक खास तरह का स्पेस शटल है, जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स और कार्गो ले जाने में प्रयोग किया जा सकेगा।
- अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान में लगभग 80% लागत वाहन की संरचना में जाती है और पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान का उपयोग करने से यह **लागत काफी कम** हो सकती है। इससे प्रत्येक लॉन्च के लिए एक नये वाहन का विनिर्माण में लगने वाला समय भी कम हो सकता है, जिससे अधिक बार लॉन्च करना संभव हो सकेगा।
- रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के **अत्याधुनिक और उन्नत वर्जन** से दुश्मन देश की जासूसी की जा सकती है। इसके माध्यम से अंतरिक्ष में ही दुश्मन की सैटेलाइट को बर्बाद भी किया जा सकता है।
- इसका प्रयोग अंतरिक्ष में कचरा साफ करने और सैटेलाइट्स की मरम्मत के लिए भी किया जा सकता है। ऐसे यानों पर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन (DEW) लगाकर इसका प्रयोग भी किया जा सकता है।
- पुष्पक से विरोधी देश के बिजली ग्रिड उड़ाना या फिर कंप्यूटर सिस्टम को नष्ट करना जैसे काम भी किये जा सकते हैं। अभी ऐसे स्पेस शटल बनाने की क्षमता वाले देशों में अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जापान ही शामिल हैं। इसके साथ ही इस तकनीक के बहुआयामी प्रयोग पर शोध भी अमेरिका, रूस और चीन द्वारा ही किये जा रहे हैं।

प्रारंभिकी 2024

200 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स टॉपिक

जीएस इनपुट के साथ अति संभावित वस्तुनिष्ठ प्रश्न

राष्ट्रीय घटनाक्रम

सार्वजनिक संपत्ति की क्षति

2 फरवरी, 2024 को, भारत के **22वें विधि आयोग** ने **'सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की रोकथाम पर कानून की समीक्षा'** शीर्षक से अपनी रिपोर्ट संख्या 284 भारत सरकार को सौंप दी है।

- **2007 में**, सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न उदाहरणों का स्वत: संज्ञान लिया, जहां सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को बड़े पैमाने पर नष्ट किया गया था।
- पूर्व SC न्यायाधीश **न्यायमूर्ति केटी थॉमस** और वरिष्ठ वकील फली नरीमन की अध्यक्षता में दो समितियों का गठन किया गया था।
- 2009 में, SC ने दो विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए दिशा-निर्देश जारी किए।
- थॉमस समिति ने **प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्रमाणित करने का भार** (Burden of Proof) **वापस लेने** की सिफारिश की थी। नरीमन समिति की सिफारिशें **विनाश के लिए हर्जाना वसूलने** के संबंध में थीं।

प्रश्न 1. सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम,1984 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस अधिनियम के तहत सार्वजनिक संपत्ति में बिजली या ऊर्जा उत्पादन इकाइयाँ, वितरण या आपूर्ति या सार्वजनिक परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली कोई भी संपत्ति शामिल है।
2. सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पांच साल तक की जेल के दंड का प्रावधान है।
3. आयोग ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम, 1984 में संशोधन की सिफारिश की है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सत्य विकल्प का चयन करें-

(a) केवल 1, 3 (b) केवल 1, 2
(c) केवल 2, 3 (d) 1, 2 और 3

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह

ओडिशा में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) में से एक माने जाने वाले **कुटिया कोंध समुदाय** के दो व्यक्तियों को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था।

- कोंध जनजाति वर्ग **द्रविड़ भाषा कुई** बोलता है।
- यह अपने भैंस की बलि अनुष्ठान के लिए जाने जाते हैं, जिसे 'केडु' कहा जाता है। यह अनुष्ठान धरती मां की आराधना के लिए किया जाता है।
- **वर्ष 1975 में सबसे** कमजोर जनजातीय समूहों को पीवीटीजी नामक एक अलग श्रेणी के रूप में पहचानने की पहल की गई।
- वर्ष 2006 में आदिम जनजातीय समूह (PTG) का नाम बदलकर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) कर दिया गया।
- 2011 की जनगणना के अनुसार **सबसे बड़ा पीवीटीजी ओडिशा का सौरा समुदाय** है।
- भारत सरकार पीवीटीजी की पहचान के लिए **प्रौद्योगिकी का पूर्व-कृषि स्तर, साक्षरता का निम्न स्तर, आर्थिक पिछड़ापन एवं घटती या स्थिर जनसंख्या** मानदंडों का पालन करती है।

प्रश्न 2. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए?

1. गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों के लिए प्रत्येक वर्ष पीवीटीजी के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाता है।
2. भारत में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 95 जनजातियों से संबंधित पीवीटीजी हैं।
3. पीवीटीजी की पहचान के लिए अपर्याप्त बुनियादी ढांचा प्राथमिक मानदंडों में से एक है।
4. ढेबर आयोग ने आदिम समूहों के बीच एक अलग श्रेणी के रूप में आदिम जनजातीय समूहों (PTG) का निर्माण किया।

उपरोक्त कथनों में से कितना/कितने कथन सही हैं-

(a) केवल एक कथन (b) केवल दो कथन
(c) केवल तीन कथन (d) सभी चार कथन

अनुसूचित क्षेत्रों में गैर-आदिवासियों के अधिकार

मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने स्पष्ट किया कि गैर-आदिवासियों को अनुसूचित क्षेत्रों में बसने और मतदान करने का अधिकार है।

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत उचित प्रतिबंधों के अधीन अनुसूचित क्षेत्रों में गैर-आदिवासियों को बसने के अधिकार है।
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले गैर-आदिवासी भी चुनाव में मतदान करने के पात्र हैं।
- अनुसूचित क्षेत्रों में निवास का अधिकार कानून द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन हो सकता है।

राज्य परिदृश्य

इसके अंतर्गत हमने विभिन्न राज्यों द्वारा शुरू की गई योजनाओं एवं कार्यक्रमों, राज्य स्तर पर आयोजित बैठक एवं सम्मेलनों, सरकारों द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट्स तथा अन्य प्रमुख घटनाक्रमों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है, जिनसे सामान्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।

उत्तर प्रदेश

ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी

उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 मार्च, 2024 को कैबिनेट की बैठक में हरित हाइड्रोजन नीति (Green Hydrogen Policy) को मंजूरी दे दी।

- इसके माध्यम से वर्ष 2028 तक सालाना 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया है।
- हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में उर्वरक, पेट्रोकेमिकल और स्टील प्लांट आदि में होता है।
- ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी की अवधि 5 वर्ष रखी गई है। इस दौरान लगाए जाने वाले उद्योगों को 10 से 30 प्रतिशत तक पूंजीगत खर्च पर सब्सिडी दी जाएगी।

किसानों के बिजली बिल माफी की घोषणा

2 मार्च, 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के स्वामित्व वाले निजी ट्यूबवेलों के बिजली बिल में पूर्ण छूट की घोषणा की है। यह बिजली बिलों से संबन्धित छूट 1 अप्रैल, 2023 से लागू हो गई है।

- इसका उद्देश्य राज्य के किसानों पर वित्तीय बोझ को कम करना, उनकी कृषि उत्पादकता और समग्र कल्याण को बढ़ावा देना है।
- इसके कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024-2025 के बजट में 1,800 करोड़ रूपये की राशि निर्धारित की है।

उत्तर प्रदेश : 5 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड

हाल ही में, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, राज्य में 50,017,920 आयुष्मान कार्ड जारी किए हैं।

- इस प्रकार उत्तर प्रदेश आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पांच करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
- इस योजना के तहत 74,382,304 व्यक्तियों को लाभ प्रदान किया है तथा इस योजना के तहत राज्य के 3,716 अस्पताल शामिल हैं।
- आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर, 2018 को शुरू की गई थी।

त्रिनेत्रा ऐप 2.0

उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाल ही में अपराध की रोकथाम और जांच के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म 'त्रिनेत्र ऐप 2.0' को लॉन्च किया।

- यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने एडीजी कानून-व्यवस्था अमिताभ यश के साथ डीजीपी मुख्यालय में ऐप लॉन्च किया।
- इस ऐप के माध्यम से 9.32 लाख से अधिक आपराधिक रिकॉर्ड डिजिटल किए जाएंगे, साथ-ही सुरक्षा जांच के दौरान संदिग्धों की तेजी से पहचान किए जा सकते हैं।
- इसमें व्यापक अपराध-संबंधी जानकारी इनपुट और पहुंच शामिल है, जिसमें अपराध इतिहास, एफआईआर विवरण आदि शामिल है।

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश के नये लोकायुक्त

9 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने न्यायमूर्ति सत्येन्द्र कुमार सिंह को मध्य प्रदेश का नया लोकायुक्त (भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल) नियुक्त किए जाने के संबंध में अधिसूचना जारी की।

- राज्यपाल मंगूभाई पटेल द्वारा नये लोकायुक्त को पद की शपथ दिलाई गई।
- मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति मध्य प्रदेश लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1981 के अधिनियमन के आधार पर की जाती है।

विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी, 2024 को वर्चुअल माध्यम से मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया। यह विश्व की पहली वैदिक घड़ी है।

- यह घड़ी उज्जैन के जंतर मंतर क्षेत्र में सरकारी जीवाजी वेधशाला के करीब बने 85 फुट ऊंचे टॉवर पर स्थापित की गई है।
- यह घड़ी वैदिक हिंदू पंचांग, ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त, ज्योतिषीय गणना और भविष्यवाणियों के बारे में जानकारी प्रदर्शित करेगी।
- यह घड़ी भारतीय मानक समय (IST) और ग्रीनविच मीन टाइम (GMT) भी दर्शाएगी।

बिहार

भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधन केंद्र

4 मार्च, 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में भारत के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र (NDRC) का उद्घाटन किया। पूरे एशिया में डॉल्फिन पर यह अपनी तरह का एकमात्र शोध केंद्र है।

- इस केंद्र का उद्देश्य गंगा डॉल्फिन का व्यापक अध्ययन करने में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की सहायता करना है।

न्यूज़ बुलेट्स

न्यूज बुलेट्स के इस खंड में हम उन समसामयिक घटनाक्रमों को प्रस्तुत करते हैं, जिनके लिए विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि परीक्षा की तैयारी के लिए इन्हें संक्षिप्त रूप में पढ़ना पर्याप्त होता है। ऐसे घटनाक्रमों को हम पत्रिका के शुरुआती नियमित स्तंभों में शामिल करने के बजाय पृथक रूप से इस खंड के अंतर्गत प्रस्तुत कर रहे हैं।

राष्ट्रीय संक्षिप्तिकी

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस

- 8 मार्च, 2024 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में 'राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस' (National Cooperative Database) लॉन्च किया तथा 'राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस 2023: एक रिपोर्ट' (National Cooperative Database 2023: A Report) जारी की गई।
- सहकारिता केंद्रित आर्थिक मॉडल को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों, राष्ट्रीय संघों और हितधारकों की सहभागिता से 'राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस' का विकास किया गया है।
- राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और सहकारी समितियों के बीच प्रभावशाली संवाद का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जिससे सहकारी क्षेत्र के सभी हितधारक लाभान्वित होंगे। यह डेटाबेस पंजीकृत समितियों का व्यापक संपर्क विवरण प्रदान करता है, जो सरकारी संस्थाओं और इन समितियों के बीच सुचारु संप्रेषण में सहायक होगा।

भारतीय आदिम जनजाति सेवा संगठन

- हाल ही में, नई दिल्ली स्थित भारतीय आदिम जनजाति सेवा संगठन (BAJSS) में नवीनीकृत 'राष्ट्रीय विशिष्ट जनजातीय संग्रहालय' और 'ई-लाइब्रेरी' का उद्घाटन किया गया।
- BAJSS की स्थापना 1948 में अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर (ठक्कर बापा) द्वारा की गई थी। यह संगठन जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए कार्य करता है। इस दौरान केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य-मंत्री द्वारा झारखंड में 'जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण एवं संवर्द्धन केंद्र' की आधारशिला रखी गई।
- इस केंद्र पर भौतिक और अमूर्त जनजातीय संस्कृति प्रदर्शित की जाएगी। यह जनजातीय विकास में सहायता के लिए ज्ञान और सूचना केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

जल शक्ति अभियान: कैच द रेन

- 9 मार्च, 2024 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में 'जल शक्ति अभियान: कैच द रेन' (Jal Shakti Abhiyan: Catch the Rain) अभियान का 5वां संस्करण लॉन्च किया। इसे 30 नवंबर, 2024 तक लागू किया जाएगा।
- जल संचय को बढ़ावा देने के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने संपूर्ण देश में जन-भागीदारी के माध्यम से स्थानीय स्तर पर जल संरक्षण गतिविधियों को आरंभ करने के लिए वर्ष 2019 में जल शक्ति अभियान को 'जन आंदोलन' बनाया।

कॉमन फेलोशिप पोर्टल

- 12 मार्च, 2024 को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा 'कॉमन फेलोशिप पोर्टल' (Common Fellowship Portal) लॉन्च किया गया। यह पोर्टल जैव प्रौद्योगिकी विभाग की विभिन्न फेलोशिप योजनाओं और आवेदकों के बीच एक एकल इंटरफेस के रूप में कार्य करेगा।
- पोर्टल (fellowships.gov.in) का उद्देश्य आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित करना है। आवेदक विभिन्न विभागों के लिए प्रोफाइल और ऑटो-फिल एप्लिकेशन बना सकते हैं।
- पोर्टल में फेलोशिप योजनाओं के लिए पात्रता की जाँच के लिए 'पात्रता कैलकुलेटर' शामिल है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के नए अध्यक्ष

- 11 मार्च, 2024 को किशोर मकवाना ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के अध्यक्ष तथा लव कुश कुमार ने आयोग के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला।
- NCSC और NCST के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा इनके पद की सेवा की शर्तें और कार्यकाल भी राष्ट्रपति तय करते हैं।
- NCSC एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना अनुसूचित जातियों के शोषण के विरुद्ध सुरक्षा उपाय प्रदान करने तथा उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने के साथ उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से की गई है।

लघु संचिका

प्रायः सामान्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में नियुक्ति, निधन, पुरस्कारों, चर्चित पुस्तकों, दिवसों आदि से काफी संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके लिए संक्षिप्त स्वरूप में समसामयिक घटनाक्रमों का कवरेज पर्याप्त होता है। इसे ध्यान में रखकर हम इस खंड में अति संक्षिप्त रूप में इन समसामयिक घटनाक्रमों का प्रस्तुतीकरण करते हैं।

चर्चित व्यक्ति/ नियुक्ति

सुमन कुमारी

हाल ही में, सीमा सुरक्षा बल (BSF) द्वारा सुमन कुमारी को भारत की **पहली महिला स्नाइपर** होने की घोषणा की गई।

- सुमन कुमारी सीमा सुरक्षा बल में **सब-इंस्पेक्टर** के पद पर अपनी सेवाएँ प्रदान कर रही है।
- सुमन कुमारी ने इंदौर में **सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स** (सीएसडब्ल्यूटी) में आठ सप्ताह का गहन स्नाइपर कोर्स पूरा किया है।

राजेंद्र प्रसाद गोयल

1 मार्च, 2024 को राजेंद्र प्रसाद गोयल ने NHPC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है।

- गोयल **इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य** हैं तथा उनकी विशेषज्ञता जलविद्युत परियोजना के विकास और संचालन में निहित जटिल वित्तीय, संविदात्मक और नियामक पहलुओं को हल करने से संबंधित है।
- NHPC भारत की एक प्रमुख **जलविद्युत कंपनी** है और भारत सरकार के तहत अनुसूची 'ए' उद्यम है।

देवेन्द्र झाझरिया

हाल ही में, देवेंद्र झाझरिया को भारतीय पैरालंपिक समिति का नया **अध्यक्ष** चुना गया है। इन्होंने प्रसिद्ध पैरा-एथलीट दीपा मलिक का स्थान लिया है।

- देवेंद्र झाझरिया दो बार पैरालंपिक प्रतियोगिता में **स्वर्ण पदक** जीत चुके हैं। देवेन्द्र झाझरिया भाला फेंक प्रतियोगिता के खिलाड़ी हैं तथा इन्होंने 2004 एथेंस और 2016 रियो पैरालिंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं।
- झाझरिया **पद्म भूषण** (2022) प्राप्त करने वाले पहले भारतीय पैरा-एथलीट हैं तथा 2017 में खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार (2004), और पद्मश्री (2012) से सम्मानित किया गया है।

किशोर मकवाना

11 मार्च, 2024 को किशोर मकवाना ने **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग** के **अध्यक्ष** का पदभार ग्रहण किया है।

- वह एक **पत्रकार और स्तंभकार** भी हैं। उन्होंने डॉ. अंबेडकर पर **9 किताबें लिखी** हैं।
- इसके अलावा उन्होंने **कई पुस्तकों का अनुवाद और संपादन** किया है और उनकी पुस्तकों का देश की कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है।
- **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC):** यह एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना अनुसूचित जातियों के शोषण के विरुद्ध सुरक्षा उपाय प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है।

ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू

14 मार्च, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय समिति ने ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है।

- नियुक्ति से संबंधित सदस्यीय समिति में प्रधान मंत्री, विपक्ष के नेता और एक नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल थे।
- मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023 के अधिनियमन के बाद, भारत के मुख्य न्यायाधीश अब पैनल का हिस्सा नहीं हैं।

न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 10 मार्च, 2024 को न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर को लोकपाल के अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई।

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 27 फरवरी, 2024 को 6 सदस्यों के साथ उनकी नियुक्ति की है।
- न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी, न्यायमूर्ति संजय यादव और न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी लोकपाल के न्यायिक सदस्य होंगे।
- लोकपाल के अन्य न्यायिक सदस्य सुशील चंद्र, पंकज कुमार और अजय तिर्की हैं।
- 27 मई, 2022 को न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से लोकपाल अपने स्थायी प्रमुख के बिना कार्य कर रहा था।

निधन

डेनियल कन्नमैन

व्यावहारिक अर्थशास्त्र के अग्रणी, नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल कन्नमैन का 27 मार्च, 2024 को 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

खेल परिदृश्य

खेल जगत में हाल के घटनाक्रमों पर आधारित

खेल व्यक्तित्व

पंकज आडवाणी

भारत के बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी को 'वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम के हॉल ऑफ फेम' में शामिल किया गया है।

- वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम चीन के शांगराव शहर में है। शांगराव में पंकज आडवाणी की फोटो लगाकर उन्हें शामिल किया गया।
- नवंबर 2023 में आडवाणी ने हमवतन सौरव कोठारी को हराकर 26वां अंतरराष्ट्रीय बिलियर्ड्स एवं स्नूकर महासंघ (IBSF) खिताब जीता था।
- पंकज आडवाणी कुल 26 वर्ल्ड टाइटल जीत चुके हैं, जिसमें 18 बिलियर्ड्स और 8 स्नूकर के वर्ल्ड टाइटल शामिल हैं।
- भारत सरकार ने पंकज आडवाणी को पद्म भूषण (2018) पद्मश्री (2009), मेजर ध्यानचंद खेल रत्न (2006) और अर्जुन पुरस्कार (2004) से सम्मानित किया है।

लक्ष्य सेन

भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन पुरुष एकल वर्ग की विश्व रैंकिंग में 13वें नंबर पर पहुंच गए हैं। फ्रेंच ओपन और प्रतिष्ठित ऑल इंग्लैंड ओपन में लक्ष्य के बेहतर प्रदर्शन के बाद बीडब्ल्यूएफ रैंकिंग में सुधार आया है।

- लक्ष्य सेन दोनों टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे थे। इसके साथ ही सेन ने 2024 पेरिस ओलंपिक में अपना स्थान बना लिया है।
- पुरुष युगल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने विश्व नंबर एक स्थान बरकरार रखा है।
- महिला युगल में अश्विनी पोनप्पा और तनीषा क्रैस्टो की जोड़ी 3 स्थानों का सुधारकर 20वें स्थान पर पहुंच गई, जबकि तृषा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी चार स्थान नीचे 26वें स्थान पर आ गई।

अंश नेरूरकर

अंश नेरुरकर प्राग अंतरराष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के 'फ्यूचर कैटेगरी' का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं।

- 11 वर्षीय अंश ने इसके साथ ही ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञाननंदा के साथ मिलकर सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार भी जीता।
- अंश ने 9 दौर के टूर्नामेंट में 8 अंक बनाए। उन्होंने इस दौरान 7 स्पर्द्धाएं जीतीं, जबकि दो ड्रॉ खेलीं।
- इस प्रदर्शन से उन्हें 132 रेटिंग अंक मिले, जिससे उनके कुल अंक की संख्या 1786 हो गई।
- अंश ने इसके साथ ही कैंडिडेट मास्टर प्रतियोगिता के लिए भी क्वालीफाई किया।
- उन्होंने अपने करियर में अभी तक 163 जीत दर्ज की हैं, जबकि 47 स्पर्द्धाएं ड्रॉ हुईं।

कार्लोस सैन्ज

फेरारी टीम के ड्राइवर कार्लोस सैन्ज ने 24 मार्च, 2024 को मेलबर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलियाई ग्रां प्री फॉर्मूला वन (F1) रेस जीती।

- कार्लोस के फेरारी टीम के साथी चार्ल्स लेक्लर कार्लोस सैन्ज के बाद दूसरे स्थान पर रहे।
- विश्व चैंपियन और विश्व के नंबर एक खिलाड़ी रेड बुल टीम के मैक्स वेरस्टैपेन को अपनी कार की यांत्रिक खराबी के कारण दौड़ से बाहर होना पड़ा।
- कार्लोस सैन्ज नवंबर 2022 में ब्राजीलियन ग्रां प्री के बाद से रेड बुल को हराने वाले एकमात्र ड्राइवर हैं।
- मैक्स केवेरस्टैपेन वर्तमान में 2024 फॉर्मूला वन चैंपियनशिप की अंक तालिका में शीर्ष पर हैं।

क्रिकेट

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने डब्ल्यूपीएल 2024 जीता

17 मार्च, 2024 को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (RCB) ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 8 विकेट से हराकर महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2024 जीता।

- डीसी ने आरसीबी के सामने जीत के लिए 114 रनों का लक्ष्य रखा था, इस स्कोर को बैंगलोर की टीम ने 3 गेंदें शेष रहते हासिल कर लिया।
- ऑस्ट्रेलिया की सोफी मोलिनक्स (आरसीबी) को मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।
- आरसीबी की श्रेयंका पाटिल को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के रूप में सम्मानित किया गया।
- श्रेयंका ने टूर्नामेंट में सबसे अधिक 13 विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में पर्पल कैप जीता।
- एलिसे पेरी ने 347 रन बनाए और ऑरेंज कैप हासिल किया, जो सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है।

बैडमिंटन

फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2024

फ्रेंच ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने 10 मार्च, 2024 को पेरिस में पुरुष डबल्स का खिताब जीता।

- 2024 फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 5 से 10 मार्च, 2024 तक पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया गया था।
- शीर्ष वरीयता वाली भारतीय जोड़ी ने फाइनल में ताइवान के यांग-पो-हान और ली-झे-ह्यूई की जोड़ी को 21-11, 21-17 से हराया।

परीक्षा सार

हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) द्वारा 11 फरवरी, 2024 को आयोजित हरियाणा सिविल सेवा (HCS) एवं अन्य संबद्ध सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2023 पर आधारित

भारतीय इतिहास

- **तुर्कान-ए-चहलगानी:** यह 40 तुर्क और गैर-तुर्की गुलामों की एक परिषद थी, जो इल्तुतमिश की इच्छा के अनुसार दिल्ली सल्तनत का प्रशासन करती थी।
  - यह भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में पहला नियमित मंत्रिस्तरीय निकाय था। परिषद की स्थापना सम्राट को उसके प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकार के प्रयोग में सहायता करने के लिए की गई थी।
- **अमीर-ए-दाद:** यह भारत के इतिहास में सल्तनत काल का एक प्रमुख अधिकारी होता था। सुल्तान की राजधानी में अनुपस्थित होने पर यह दीवान-ए-मजलिस की अध्यक्षता करता था। इसे दादबक भी कहा जाता था।
- **बरीद-ए-मुमालिक:** यह सल्तनत के दौरान राज्य समाचार एजेंसी का प्रमुख था। वह खुफिया और समाचार सभाओं का प्रमुख था। उनके एजेंट देश भर से रिपोर्ट भेजते थे। स्थानीय सरकारों को नियंत्रित करने में इस प्रणाली का बहुत महत्व था।
- **विजयनगर साम्राज्य:** 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने मिलकर तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी।
  - यह दोनों भाई पहले काकतीय राजवंश में सामंत हुआ करते थे, लेकिन आगे चलकर कांपिली राज्य में मंत्री बने थे।
  - विरुपाक्ष मंदिर कर्नाटक के विजयनगर जिले के हम्पी में स्थित है। पवित्र केंद्र स्थल के रूप में विजयनगर का चुनाव विरुपाक्ष और पम्पादेवी के पवित्र मंदिरों से प्रेरित था। वास्तव में, विजयनगर शासकों ने भगवान विरुपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा किया था।
- **ग्वालियर प्रशस्ति:** मिहिरकुल की ग्वालियर प्रशस्ति एक शिलालेख है, जिस पर संस्कृत में मातृछेत द्वारा सूर्य मन्दिर के निर्माण का उल्लेख है। अलेक्जैण्डर कनिंघम ने इसे देखा था और इसके बारे में उसी वर्ष प्रकाशित किया। उसके बाद इस शिलालेख के अनेकों अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं।
  - नासिक शिलालेखों पर गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियां दर्ज हैं। वे सातवाहन राजवंश से थे। नासिक के शिलालेखों की आधारशिला उनकी मां गौतमी बलश्री ने रखी थी।
  - एरण से प्राप्त एक वराह मूर्ति के अभिलेख में हूण शासक तोरमाण और उसके शासन के प्रथम वर्ष का उल्लेख है। इसमें दिवंगत महाराज मातृविष्णु के छोटे भाई धन्यविष्णु द्वारा वराह विष्णु के निमित्त मन्दिर निर्माण करवाने का उल्लेख है।
- **रानी दुर्गावती:** इन्होंने 1548 से 1564 तक गोंडवाना पर शासन किया। मुगल सम्राट अकबर ने 1564 में गोंडवाना पर हमला किया और उसे जीत लिया।
- **चांद बीबी:** चांद बीबी को चांद खातून या चांद सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने बीजापुर (1580-1590) और अहमदनगर (1596-1599) की संरक्षक के रूप में काम किया था।
  - चांद बीबी ने 1596-1599 तक अहमदनगर पर शासन किया। 1599 में अकबर की सेना ने अहमदनगर किले पर कब्जा कर लिया और वह उसके सैनिकों द्वारा मार दी गई।
- **भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA):** इसका गठन 1942 में दक्षिण पूर्व एशिया में जापानी सहायता से किया गया था। इसे आजाद हिन्द फौज (Azad Hind Fauj) के नाम से भी जाना जाता है।
  - भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) का नेतृत्व भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने किया, जिसका नेतृत्व पहले कैप्टन मोहन सिंह ने किया था।
  - इसमें गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद और खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से फाइटिंग ब्रिगेड थे। झांसी रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर पूर्ण रूप से महिलाओं की एक रेजिमेंट भी थी।
- **शिवाजी :** 1674 ई. में शिवाजी ने रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवा कर खुद को मराठा साम्राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था और 'छत्रपति' की उपाधि धारण की। उनका राज्याभिषेक मुगल आधिपत्य को चुनौती देने वाले लोगों के उत्थान का प्रतीक था।
  - शिवाजी का अंतिम बड़ा अभियान 1676 में हुआ था और यह कर्नाटक के विरुद्ध था, जो उस समय बीजापुर सल्तनत का एक हिस्सा था। कर्नाटक के विरुद्ध शिवाजी के अभियान के पीछे प्राथमिक कारण उनके साम्राज्य का विस्तार करने और क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित करने की महत्वाकांक्षा थी।

कला एवं संस्कृति

- **सूरसागर:** यह ब्रजभाषा में महाकवि सूरदास द्वारा रचे गए कीर्तनों-पदों का एक सुंदर संकलन है, जो शब्दार्थ की दृष्टि से उपयुक्त और आदरणीय है। इसमें प्रथम नौ अध्याय संक्षिप्त है, पर दशम स्कन्ध का बहुत विस्तार हो गया है। इसमें भक्ति की प्रधानता है।
- कीर्तन-घोष एक काव्य रचना है जिसकी रचना आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेव ने एकशरण धर्म के प्रचार के लिए की थी। कीर्तन घोष की गणना श्रेष्ठ ग्रन्थों में होती है।
- अभंग भक्ति काव्य का एक रूप है, जो हिंदू भगवान विट्ठल, जिन्हें विठोबा के नाम से भी जाना जाता है, की स्तुति में गाया जाता है। इसके रचयिता संत तुकाराम को माना जाता है।
- **अमीर खुसरो:** महान सूफी कवि अमीर खुसरो नूह-ए-सिपिहार के लेखक हैं। यह तुगलक वंश के शासक मुबारक शाह के बारे में एक मसनवी हैं।

पत्रिका सार

इस खंड में हम भारत सरकार द्वारा मार्च 2024 में प्रकाशित विभिन्न पत्रिकाओं की परीक्षोपयोगी अध्ययन सामग्री का संकलन प्रस्तुत कर रहे हैं। यह अभ्यर्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

योजना (मार्च 2024)

डिजिटल युग में पारंपरिक कला के स्वरूप

- कला का डिजिटलीकरण कलाकार को **अत्यधिक विविधता और सहजता** प्रदान करता है।
- डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में **इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया इंस्टॉलेशन, 2D 3D एवं 4D आयामों** के साथ **आभासी वास्तविकता** (VR) एवं **संवर्द्धित वास्तविकता** (AR) जैसी आधुनिक विधियों की मदद से कला की उत्कृष्ट कृतियां बनाने एवं उन्हें लोकप्रिय बनाने की अधिक संभावना होती है।
- **डिजिटल एनहैंसमेंट तकनीक** कलात्मक परंपराओं को सतत रूप से परिवर्तित करते रहने तथा इसे मानवजाति की यात्रा के साथ समन्वित रखने में सहायक रही है।
- **समर्पित डिजिटल मीडिया अभियानों** के माध्यम से अनेक मृत कला रूपों का **पुनरुत्थान** हुआ है।

भारत में लोकप्रिय संगीत

- **लोकप्रिय संगीत** एक ऐसी शैली है, जो हाल ही में **पारंपरिक संगीत से उभरी** है।
- लोकप्रिय संगीत में पालन किए जाने वाले **नियम शास्त्रीय संगीत की तुलना में कम कठोर** हैं।
- संगीत की **'ताजगी' या 'नयापन'** लोकप्रिय संगीत का एक **महत्वपूर्ण** तत्व है, क्योंकि इसका उद्देश्य जनता को संतुष्ट करना है।
- लोकप्रिय संगीत का एक **प्रमुख रूप 'नाट्यसंगीत'** है। रंगमंच के संगीत को **'नाट्यसंगीत'** कहा जाता है, गीतों को **'नाट्यगीत'** कहा जाता है और इन गीतों के साथ रंगमंच के रूप को **'संगीत नाटक'** कहा जाता है।
- **'नाट्यगीत'** मराठी पाठ के साथ रागों पर आधारित गीत थे। 'नाट्यगीतों' को 'आलापो' और संक्षिप्त, द्रुत तानों से अलंकृत किया जाता था।
- संगीत नाटक युग के दौरान ताल **'गंधर्व ठेका'** एक नई ताल आविष्कार की गई थी, जिसका प्रयोग विशेष रूप से **'नाट्यसंगीत' की संगत** के लिए किया जाता था।
- **विष्णुदास भावे का नाटक 'संगीत स्वयंवर'** 1843 में सांगली में मंचित होने वाला पहला संगीत नाटक था।
- **1920 के दशक में** पश्चिम से भारत में रिकॉर्डिंग तकनीक आने के बाद संगीत क्षेत्र में **फिल्म संगीत** का विकास हुआ।
- **1980 के दशक में ध्वनि प्रौद्योगिकी** में आई प्रगति ने आरडी बर्मन और बाद में संगीत निर्देशक के रूप में एआर रहमान द्वारा फिल्म संगीत में व्यापक प्रयोग एवं बदलाव की अनुमति दी।
- भारत में **बैंड संगीत ने 1980** के दशक में आकर लेना शुरू किया तथा 1990 के दशक तक पूरी तरह से स्थापित हो गया।
- **'इंडियन ओशियन'** भारत के अग्रणी और बहुत लोकप्रिय बैंड में से एक था।
- **भावसंगीत या भावगीत** भारत के सभी क्षेत्रीय भाषाओं में गाए जाते हैं, इन्हें **सुगम संगीत** भी कहा जाता है।
- **'अभंग'** एक लोकप्रिय प्रकार का **सुगम शास्त्रीय संगीत** है, इसके टेक्स्ट संतों द्वारा लिखे गए हैं, जिनमें अक्सर एक कालातीत संदेश होता है।
- भगवान की स्तुति में गाए जाने वाले भक्तिपूर्ण हल्के शास्त्रीय गीत **'भजन'** कहलाते हैं।
- **'बंदिश'** सुर एवं लय तथा शब्दों के साथ एक भारतीय शास्त्रीय संगीत रचना है।

आधुनिक तकनीक और संदर्भों के जरिये लोक कला की पुनर्कल्पना

- शास्त्रीय कला रूपों के विपरीत **लोक कलाओं की गतिशील और अनुकूलनीय प्रवृत्ति** होती है, जो अक्सर समकालीन प्रभावों और रुझानों से प्रभावित होती है।
- कला सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन का साधन नहीं है, यह उनमें **विस्मय की भावना** का संचार करने और उनकी चेतना को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का एक **शक्तिशाली माध्यम** भी है।
- कला के क्षेत्र में **प्रौद्योगिकी के उपयोग के कुछ जोखिम** भी हैं। यह कला को केवल **कंप्यूटेशनल एल्गोरिथम या गैर-मानवीय इलेक्ट्रॉनिक संगीत क्षेत्र** के डिजिटल टैंफलेट्स तक सीमित कर रही है।

कला, उपचार और अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम

- कला उपचार पद्धति में **कला आत्माभिव्यक्ति के माध्यम से चिकित्सा** करने पर बल दिया जाता है।
- कला चिकित्सक (थैरेपिस्ट) एक सेशन (बैठक) में यह समझने का प्रयास करता है कि तनाव अथवा कष्ट का **मूल कारण क्या** है।

चर्चित शब्दावली

विगत कुछ वर्षों में प्रतियोगिता परीक्षाओं में चर्चित शब्दावलियों से प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। परीक्षा की इसी मांग के अनुरूप समसामयिक सन्दर्भ में चर्चा में रही शब्दावलियों के विशेष अध्ययन की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखकर ही हम यह खंड प्रस्तुत कर रहे हैं।

जूस जैकिंग

- हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India - RBI) ने सार्वजनिक पोर्ट का उपयोग करके मोबाइल फोन चार्ज करने के प्रति चेतावनी जारी की थी।
- RBI के अनुसार, सार्वजनिक पोर्ट के माध्यम से जूस जैकिंग नामक साइबर हमला हो सकता है।
- जूस जैकिंग एक प्रकार का साइबर हमला है जहां हैकर्स सार्वजनिक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट के साथ छेड़छाड़ करते हैं।
- इसके अंतर्गत इनके द्वारा इसे मैलवेयर से संक्रमित किया जा सकता है या हार्डवेयर परिवर्तन किए जा सकते हैं।
- इसके माध्यम से हैकर जुड़े हुए उपकरणों से डेटा चोरी कर सकते हैं।
- भारत साइबर हमलों के प्रति काफी संवेदनशील देश है। नवंबर 2022 तक देश में कुल 12,67,564 साइबर अपराध की घटनाएं दर्ज की गईं।
- साइबर अधिकारियों ने वर्ष 2019 (3,94,499) तथा 2020 (11,58,208) की तुलना में 2021 में ऐसी 14,02,809 घटनाएं दर्ज की थीं।

पार्थेनोजेनेसिस

- शोधकर्ताओं ने लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाली फल-मक्खी प्रजाति को अलैंगिक रूप से प्रजनन करवाने के लिए आनुवंशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से परिवर्तन किए।
- ड्रोसोफिला मैंगेबिराई एक ऐसी प्रजाति है, जिसमें केवल पार्थेनोजेनेसिस (अछूती वंशवृद्धि) में सक्षम मादाएं शामिल हैं।
- पार्थेनोजेनेसिस प्रजनन का एक रूप है जहां एक जीव नर द्वारा निषेचन के बिना संतान पैदा करता है।
- इस प्रक्रिया में, मादा युग्मक (अंडा कोशिका) नर युग्मक (शुक्राणु) के आनुवंशिक योगदान के बिना एक नए जीव के रूप में विकसित होती है।
- पार्थेनोजेनेसिस कुछ प्रजातियों में स्वाभाविक रूप से हो सकता है, विशेष रूप से कुछ अकशेरुकी जीवों, कीड़ों, सरीसृपों और मछलियों में।
- इसे प्रयोगशाला स्थितियों के तहत कुछ प्रजातियों में कृत्रिम रूप से भी प्रेरित किया जा सकता है।
- परिणामी संतानें आमतौर पर आनुवंशिक रूप से समान या मां के लगभग समान (क्लोन) होती हैं।

घोस्ट पार्टिकल्स

- आइसक्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला के वैज्ञानिकों ने खगोल भौतिकीय ताऊ न्यूट्रिनो (Astrophysical Tau Neutrinos) के प्रमाण खोजने का दावा किया है।
- न्यूट्रिनो उपपरमाण्विक कण हैं, जिनका पदार्थ के साथ न्यूनतम संपर्क होता है, जिससे वे बिना किसी परेशानी के लंबी दूरी तय कर सकते हैं।
- ताऊ न्यूट्रिनो विशेष रूप से भ्रान्तिजनक (elusive) होते हैं और उनका पता लगाना कठिन होता है, जिससे उन्हें 'घोस्ट पार्टिकल्स' भी कहा जाता है।
- बहुत कम अपेक्षित पृष्ठभूमि वाले डेटा में सात ताऊ न्यूट्रिनो घटनाओं का पता लगाया गया, जो उनकी प्रामाणिकता की प्रबल संभावना को दर्शाता है।
- ताउ न्यूट्रिनो सहित खगोलभौतिकीय न्यूट्रिनो, हमारी आकाशगंगा से परे सबसे दूर तक पहुँचते हैं।
- आइसक्यूब वेधशाला न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिए अंटार्कटिक बर्फ के भीतर गहराई में लगे डिजिटल ऑप्टिकल मॉड्यूल (DOMs) के तारों का उपयोग करती है।

बायोकंप्यूटर

- शोधकर्ताओं ने बहुत शक्तिशाली और मजबूत भविष्य के 'बायोकंप्यूटर' के निर्माण की उम्मीद में, डीएनए पर डेटा स्टोर की गणना करने के लिए नई विधि डिजाइन की है।
- बायोकंप्यूटर ऐसा कंप्यूटिंग सिस्टम है, जो कम्प्यूटेशनल कार्यों को करने के लिए डीएनए अणुओं या प्रोटीन जैसे जैविक घटकों का उपयोग करते हैं।
- ये प्रणालियाँ गणना के लिए जैविक अणुओं के अंतर्निहित गुणों, जैसे सूचना को संग्रहीत करने और संसाधित करने की उनकी क्षमता का लाभ उठाती हैं।
- बायोकंप्यूटर पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों की तुलना में कई संभावित लाभ प्रदान करते हैं, जिनमें उच्च सूचना घनत्व, कम बिजली की खपत और जैविक प्रणालियों के साथ अनुकूलता शामिल है।
- शोधकर्ताओं का लक्ष्य भंडारण (Storage) के इलेक्ट्रॉनिक पहलुओं को कम करना और जैव-संगत तरीकों की ओर बढ़ना है।
- डीएनए-आधारित भंडारण फोरेंसिक, बायोमेडिकल अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है और बेहतर डेटा खोजों के लिए अधिक मजबूत भंडारण प्रणालियों का निर्माण कर सकता है।

संसद प्रश्नोत्तरी

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य: वनलाइनर रूप में

कॉलेजियम प्रणाली

- कॉलेजियम प्रणाली किसकी नियुक्ति और स्थानांतरण की एक प्रणाली है? - **सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की**
- इस प्रणाली के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश किसके साथ न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की सिफारिश करते हैं? - **सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ**
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? - **अनुच्छेद 124**
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के परामर्श से किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? - **अनुच्छेद 124**
- किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को बदलने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (NIAC) का प्रावधान किया गया? - **99वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2014**

राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक

- राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) किस संस्थान द्वारा जारी किए गये हैं? - **नीति आयोग**
- यह सूचकांक किसके आंकड़ों के आधार पर जारी किया गया है? - **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के**
- राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट शीर्षक वाला पहला संस्करण कब जारी किया गया था? - **नवंबर 2021 में**
- चर्चा पत्र के अनुसार, भारत की बहुआयामी गरीबी 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में कितने प्रतिशत हो गई है? - **11.28%**
- 9 साल की अवधि के दौरान कितने करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आये हैं? - **24.82 करोड़**

राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम

- सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाला राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम किसके सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है? - **राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017**
- जनसंख्या अनुमान पर तकनीकी समूह (TGPP) की रिपोर्ट स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के किस आयोग द्वारा प्रकाशित की जाती है? - **राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग**
- इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 में भारत की अनुमानित जनसंख्या कितनी होगी? - **142.59 करोड़**
- कुल प्रजनन दर 2015-16 (NFHS) में 2.2 से घटकर 2019-21 (NFHS 5) में कितनी हो गई है? - **2.0**
- कितने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन क्षमता हासिल कर ली है? - **31 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों**
- आधुनिक गर्भ निरोधक का उपयोग 2015-16 (NFHS 4) में 47.8% से बढ़कर 2019-21 (NFHS 5) में कितने प्रतिशत हो गया है? - **56.5%**

ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना

- ई-कोर्ट एकीकृत मिशन मोड परियोजना कबसे देश के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यान्वित की जा रही है? - **वर्ष 2007 से**
- किस योजना के हिस्से के रूप में भारतीय न्यायपालिका के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) विकास के लिए ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है? - **राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना**
- ई-कोर्ट परियोजना भारत के ई-कमेटी सुप्रीम कोर्ट के सहयोग से किसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? - **न्याय विभाग**
- इस परियोजना का उद्देश्य देश में किस न्यायालय के सार्वभौमिक कम्प्यूटरीकरण और न्याय प्रणाली की आईसीटी सक्षमता में वृद्धि करके वादियों, वकीलों और न्यायपालिका को नामित सेवाएं प्रदान करना है? - **जिला और अधीनस्थ न्यायालयों**
- ई-कोर्ट्स परियोजना का चरण I किस समयावधि के मध्य लागू किया गया था? - **वर्ष 2011-2015 के मध्य**
- ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट का चरण II कब तक बढ़ाया गया? - **वर्ष 2015-2023 तक**

मेडिकल डिवाइस पार्क

- वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 'मेडिकल डिवाइस पार्कों को बढ़ावा देना' योजना के तहत कितने मेडिकल डिवाइस पार्कों को मंजूरी दी गई है? - **चार मेडिकल डिवाइस पार्कों की**
- देश में चिकित्सीय उपकरण उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिये केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा 'प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क योजना' शुरू की गई है? - **उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय द्वारा**
- यह डिवाइस पार्क किस राज्य में निर्माणाधीन/विकासाधीन हैं? - **मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश राज्यों और हिमाचल प्रदेश में**
- इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय कितने करोड़ रुपये है? - **400 करोड़ रुपये**
- वित्त वर्ष 2021-22 में किस सरकार को 30 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की गई है? - **हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को**
- योजना का कार्यकाल किस वित्तीय वर्ष से किस वित्तीय वर्ष तक है? - **वित्तीय वर्ष 2020-2021 से वित्तीय वर्ष 2024-2025 तक**

फैक्ट शीट

इस खंड के तहत हम उन विषय-वस्तुओं को कवर करते हैं, जो प्रतियोगीता परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण हैं तथा जिनसे परीक्षाओं में बार-बार तथ्य एवं आंकड़े संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं।

भारत में रसायन उद्योग

भारत के रसायन उद्योग में व्यापक विविधता है, जिसमें 80,000 से अधिक वाणिज्यिक उत्पाद शामिल हैं। इसे थोक रसायन, विशेष रसायन, कृषि रसायन, पेट्रो रसायन, पॉलीमर और उर्वरक में वर्गीकृत किया गया है।

भारत की वैश्विक स्थिति

- **रसायनों का वैश्विक निर्यात** - भारत की रैंक: 11वीं (फार्मास्युटिकल उत्पादों को छोड़कर)।
- **रसायनों का वैश्विक आयात** - भारत की रैंक: 6वीं (फार्मास्युटिकल उत्पादों को छोड़कर)।
- **केमिकल सेक्टर में (उर्वरकों को छोड़कर) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)** - $21.71 बिलियन (अप्रैल 2000 से सितंबर 2023)।
- **रोजगार** - यह 2 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है।

रसायन उद्योग विकास के उत्प्रेरक

- **विशेष रसायन** (Specialty Chemicals) - 12% सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद (2020-25)।
- **पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्र** (PCPIRs) - दिसंबर 2023 तक 420 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आकर्षित करने का अनुमान।
- **कृषि रसायन मांग** - 2027 तक 8.3% की सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है।
- **विशेष रसायनों की मांग** - 2027 तक 11.5% की सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है।
- **पेट्रोकेमिकल्स की मांग:** 2027 तक 11% सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है।

निर्यात रुझान

- **कुल निर्यात में योगदान :**
  - वर्ष 2021-22: रसायन और रासायनिक उत्पादों (फार्मास्युटिकल उत्पादों और उर्वरकों को छोड़कर) ने कुल निर्यात में 11.7% का योगदान दिया।
  - वर्ष 2022-23: अंशदान घटकर 10.8% रह गया।
- **निर्यात वृद्धि दर :** सीएजीआर (2017-18 से 2021-22): रसायन और रासायनिक उत्पादों के लिए 13.86%, जबकि कुल राष्ट्रीय निर्यात के लिए 12.62%।

औद्योगिक उत्पादन और प्रदर्शन

- **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP):** मई 2021 में 109.1 के निचले स्तर से जुलाई 2022 में 137.2 की रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल की।
- **विनिर्मित उत्पाद वृद्धि:** सीएजीआर (2017-18 से 2021-22): 4.4% (WPI पर आधारित)।
- **रसायन और रासायनिक उत्पाद वृद्धि:** सीएजीआर (2017-18 से 2021-22): 4.4%

उत्पादन रुझान

- **प्रमुख रसायन उत्पादन:** 2023-24 के दौरान (अगस्त 2023 तक) पिछले वर्ष के 54.32 लाख टन से घटकर 53.54 लाख टन हो गया।
- **पेट्रोकेमिकल्स उत्पादन:** सिंथेटिक डिटर्जेंट इंटरमीडिएट्स जैसे कुछ पेट्रोकेमिकल्स 2023-24 में (अगस्त 2023 तक) 34.07 लाख टन तक पहुंच गए।
- **कार्बनिक रसायन उत्पादन:** पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4.52% (अगस्त 2023 तक) की वृद्धि दर्ज की गई।
- **प्रमुख पेट्रोकेमिकल्स उत्पादन:** पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 6.08% की वृद्धि (अगस्त 2023 तक)।

सरकारी पहल

- **बीआईएस-जैसा प्रमाणन अधिदेश**
  - उद्देश्य: सस्ते और घटिया रसायनों की डंपिंग को रोकना।
  - कार्यान्वयन: आयातित रसायनों के लिए अनिवार्य प्रमाणीकरण।
- **विकास लक्ष्य**
  - उद्देश्य: 2025 तक सेक्टर की जीडीपी हिस्सेदारी ~25% तक बढ़ाना।
- **वित्तीय आवंटन**
  - आवंटन: केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत 173.45 करोड़ रुपये (20.93 मिलियन अमेरिकी डॉलर)।
- **उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (PLI)**
  - परिचय: बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने के लिए PIL योजनाएं।
  - बजट: रु. 1,629 करोड़ (US$213.81 मिलियन)। ■■

समसामयिक प्रश्न

मार्च 2024 के घटनाक्रम पर आधारित

1. भारत के जल संसाधनों सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत के पास दुनिया के 2.5% जल संसाधन हैं।
2. केंद्रीय जल आयोग के अनुसार भारत में 4,000 अरब मी.^{3} वर्षा होती है।
3. भारत में 1123 अरब मी.^{3} सतही और भूजल संसाधन हैं।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

2. भारत में सहकारी समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत में सहकारी समितियों के विस्तार और विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस लॉन्च किया गया है।
2. डेटाबेस एक वेब-आधारित डिजिटल डैशबोर्ड है, जिसमें 50 करोड़ से अधिक लोग शामिल हैं।
3. भारत सरकार ने सहकारी समितियों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने के लिए 1962 में कृषि पुनर्वित्त निगम की स्थापना की।
4. भारत में सहकारी समिति बनाने के लिए कम से कम 20 वयस्कों की सहमति होनी चाहिए।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) कथन 1 और 3 (b) कथन 2 और 4
(c) कथन 1, 3 और 4 (d) कथन 1, 2, 3 और 4

3. उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण योजना, 2024 (UNNATI) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण योजना 20-वर्षीय केंद्रीय क्षेत्र योजना है।
2. इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।
3. इसका कार्यान्वयन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा किया जायेगा।

उपरोक्त कथनों के आधार पर असत्य विकल्प का चयन करें-

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

4. विश्व की प्रमुख नहरों के संदर्भ में, गलत विकल्प का चयन कीजिए:

(a) स्वेज नहर — यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है।
(b) पनामा नहर — अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है।
(c) कील नहर — उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है।
(d) कोरिंथ नहर — ग्रेट लेक्स को हडसन नदी से जोड़ती हैं।

5. समान नागरिक संहिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. कथन (a)- स्वतंत्रता के बाद UCC को अपनाने वाला उत्तराखंड को भारत का पहला राज्य बन गया है।
2. कारण (R)- इसका लक्ष्य सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करना, महिलाओं के उत्पीड़न पर अंकुश लगाना और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(a) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(b) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(c) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(d) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

6. जबरवान रेंज में स्थित शंकराचार्य मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. 1100 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है।
2. आदि शंकराचार्य ने चार मठों द्वारका, जोशीमठ, पुरी और श्रृंगेरी की स्थापना की हैं।

उपरोक्त कथनों के आधार पर असत्य विकल्प का चयन करें-

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

7. हाल ही में चर्चा में रहे, G-4 समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है?

(a) ब्राजील (b) जापान
(c) कनाडा (d) जर्मनी

8. नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. CAA पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के 6 गैर-मुस्लिम समुदायों को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है।
2. नागरिकता प्राप्ति के लिए 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया होना अनिवार्य है।
3. यह अधिनियम इन समुदायों के सदस्यों को विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत किसी भी आपराधिक मामले से छूट देता है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें-

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

करेंट अफेयर्स वनलाइनर

सरकारी समाचार सेवाओं- PIB, AIR इत्यादि से संकलित

राष्ट्रीय

- यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी: द क्लास ऑफ 2024 की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है? **-भूमि पेडनेकर**
- किस अभ्यास के तहत् भारतीय वायु सेना (IAF) ने कश्मीर घाटी के उत्तरी क्षेत्र में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा (ELF) का संचालन किया? **-अभ्यास गगन शक्ति-24**
- हाल ही में भारत सरकार के किस विभाग ने गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (DGQA) के पुनर्गठन के लिये अधिसूचना जारी की? **-रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय**
- नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF) का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? **-पीयूष आनंद**
- किस संस्था/ प्राधिकरण ने 26 मार्च, 2024 को 'मशीन-टू-मशीन (MtoM) संचार के लिए एंबेडेड सिम के उपयोग' पर अपनी सिफारिशें जारी की हैं? **-भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण**
- गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? **-सदानंद वसंत**
- भारतीय मूल के किस प्रख्यात गणितज्ञ का 26 मार्च, 2024 को निधन हो गया? **-डॉ. टी. एन. सुब्रमण्यम**
- मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने किस पक्षी के समक्ष गंभीर खतरे से निपटने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है? **-ग्रेट इंडियन बस्टर्ड**
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 22 मार्च, 2024 को ब्लू इकोनॉमी पाथवेज स्टडी रिपोर्ट की स्थिति पर एक परामर्श कार्यशाला का आयोजन कहां किया? **-नई दिल्ली में**
- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NIXI) ने 21 मार्च, 2024 को आयोजित यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे कार्यक्रम में किस पोर्टल के लॉन्च की घोषणा की? **-भाषानेट पोर्टल**
- 21 मार्च, 2024 को आईसीएआर-कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन कहां किया गया? **-पुडुचेरी**
- हैती में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मद्देनजर भारत ने हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिये किस ऑपरेशन को शुरू किया है? **-ऑपरेशन इंद्रावती**
- केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने 15 मार्च, 2024 को कौन-सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? **-नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (e-NAM)**
- रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के 25 डोर्नियर विमानों के 'मिड लाइफ अपग्रेड (MLU) के लिए 15 मार्च, 2024 को किसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किये? **-हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL)**
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने तेलंगाना के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है? **-झारखण्ड के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन**
- केंद्र सरकार ने फिल्म प्रमाणन प्रक्रिया में व्यापक सुधार के लिये किस नियम को अधिसूचित किया? **-सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024**

आर्थिकी

- 4 अप्रैल, 2024 को 'इंडिया रियल एस्टेट: ऑफिस एंड रेजिडेंशियल रिपोर्ट' किसके द्वारा जारी की गई? **-नाइट फ्रैंक इंडिया**
- एयरलाइन अकासा एयर ने हाल ही में किन दो शहरों के बीच पहली उड़ान रवाना करने के साथ ही अपना अंतरराष्ट्रीय परिचालन शुरू किया? **-मुंबई से दोहा (कतर)**
- भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) ने अडानी पॉवर लिमिटेड द्वारा किस कंपनी के 100 प्रतिशत अधिग्रहण को मंजूरी दी है? **-लैंको अमरकंटक पॉवर लिमिटेड**
- सार्वजनिक क्षेत्र की कौन-सी बीमा कंपनी विश्व स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड-2024 के तौर पर उभरी है? **-भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)**
- किस बैंक ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC)- सक्षम RuPay स्मार्ट कुंजी श्रृंखला-'फ्लैश पे' लॉन्च करने की घोषणा की? **-फेडरल बैंक**
- भारतीय डेयरी ब्रांड अमूल किस देश में अपने उत्पाद का निर्माण करके अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिचालन शुरू करेगा? **-संयुक्त राज्य अमेरिका**
- किस बैंक ने 19 मार्च, 2024 को नकारात्मक ब्याज दरों की नीति को समाप्त कर दिया और 17 वर्षों में पहली बार इसमें बढ़ोतरी की घोषणा की? **-बैंक ऑफ जापान**
- हाल ही में किस कंपनी ने मिनीरत्न श्रेणी-I केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (CPSE) का दर्जा प्राप्त किया है? **-ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड (GRID-INDIA)**
- हाल ही में किस बोर्ड ने पेप्ट्रिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और फाउंडेशन फॉर नेग्लेक्टेड डिजीज रिसर्च (FNDR), बेंगलुरु के साथ एक समझौता किया? - **प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (TDB)**
- किस मंत्रालय ने पशुधन क्षेत्र में भारत फाइनेंशियल इन्क्लूजन लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? **- ग्रामीण विकास मंत्रालय**
- भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) सेक्टर में नवोन्मेषण को बढ़ावा देने के लिये किस संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये? **- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की**